खण्ड–515, अंक–01
सोमवार, 26 आश्विन, शक संवत् 1943
(18 अक्टूबर, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, वर्ष 2021)

(खण्ड 515 में 01 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
सत्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची, महामहिम राज्यपाल, मंत्री-परिषद् नेता विरोधी दल, तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारीगण	1-12
उपस्थित सदस्य	13-19
राष्ट्रीय-गीत	20
उपाध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से होने तक चुनाव स्थगित करने की मांग ...	20-23
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार ...	24-31
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	31-32
जनपद-शाहजहाँपुर में विधवा पेंशन में हुई अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद-आजमगढ़ में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पेंशन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद-हरदोई के विकास खण्ड भरखनी में औद्योगिक विकास क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33-34
सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कतिपय कार्यों का निष्पादन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34-35
जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत छूटी-कड़ी सम्पर्क मार्गों के नव-निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद-फिरोजाबाद के अन्तर्गत प्राचीन तीर्थ स्थल चन्द्रवार जैन मंदिर में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	35-36
जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर अन्तर्गत प्रमुख बाजार जलालपुर में बाइपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद-लखनऊ के दुबग्गा हैदरगंज द्वितीय वार्ड में श्री राम चन्द्र मौर्य के घर से श्री विपुल दीक्षित के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद-अम्बेडकरनगर के ग्राम इमामपुर परगना में चकमार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37-38
जनपद-बहराइच के विकास खण्ड नवीवगंज के अन्तर्गत प्रधान मंत्री आवास योजन की सूची का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38
जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत हिम सिटी पार्ट-2 हरदासी खेड़ा मटियारी में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
प्रदेश में बढ़ती मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद-बलिया के अन्तर्गत घाघरा नदी में आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद-लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड के अन्तर्गत इंटरलाकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद-सहारनपुर के अन्तर्गत सोलानी व खजनावर खोल नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40-41
जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
जनपद-पीलीभीत अन्तर्गत कतिपय नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41
जनपद-मथुरा के बल्देव बरौली कैलाश वाया मनगा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41-42
भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवनों के गृहकर/सम्पत्ति कर में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद मेरठ के विधान सभा किठौर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण करायेजाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद-लखनऊ के गऊघाट स्थित पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	42-43
जनपद-कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में विद्युत सम्बन्धी लम्बित कार्यो का निष्पादन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	43
धान/तिल की पराली जलाए जाने के बहाने किसानों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	43-44

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-कुशीनगर के नगर पंचायत सेवरही अन्तर्गत रितिक पुत्र परदेशी की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचन ...	44
जनपद-वाराणसी के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद-मुरादाबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 में की गयी अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद-बिजनौर के हल्दौर को नई तहसील बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45-46
जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद अन्तर्गत मखुवापुर के पंचायत चुनाव में की गयी अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद-बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
पुलिस अधीक्षक बहराइच के आवासीय भवन को नये भवन में स्थानान्तरित किये जाने सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47
उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन	47-51
उपाध्यक्ष पद हेतु शलाका पत्र द्वारा मतदान	51-56
मतगणना के परिणाम एवं निर्वाचित उपाध्यक्ष के नाम की घोषण ...	56
उपाध्यक्ष निर्वाचन के प्रति आभार	56-68
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा के प्रथम एवं द्वितीय सत्र, 2021 के नियम-301 अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ...	68
उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	68-69
उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	69
उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	69-70
उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	70

उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 70

उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 70

उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 70

उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 71

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 71

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 71

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 71

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 71-72

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना 72

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 72

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 72

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021 (मा0राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना) 72

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (मा0राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना) 73

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना 73

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना) 73

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना)	73
उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना)	74
उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना)	74
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना)	74
उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना)	74
उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना)	75
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना)	75
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना)	75
उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना)	75
उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 (मा0 राज्यपाल महोदया की अनुमति की सूचना)	76
कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	76
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	76-77
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	77-79
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	79
राष्ट्रगान	79

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

---

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — प्रयागराज
3. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया'' कुंवर — गोण्डा
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
11. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
14. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
15. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
16. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
17. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
18. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
19. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
20. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
21. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
22. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
23. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
24. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
25. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
26. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
27. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
28. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
29. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
30. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
31. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
32. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
33. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
34. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
35. अवतार सिंह भडाना, श्री — मुजफ्फरनगर
36. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
38. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
39. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
40. असलम अली, श्री — हापुड़
41. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
42. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
43. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
44. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
45. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
46. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
47. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
48. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
49. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
50. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
51. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
52. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — अयोध्या
53. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
54. उज्जवल रमण सिंह, श्री — प्रयागराज
55. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा

56. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
57. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री — कानपुर नगर
58. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
59. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
60. उषा सिरोही, श्रीमती — बुलन्दशहर
61. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
62. ओमकुमार, श्री — बिजनौर
63. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
64. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
65. कमल सिंह मलिक, श्री — हापुड़
66. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
67. कमलेश सैनी, श्रीमती — बिजनौर
68. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
69. कल्पनाथ पासवान, श्री — आजमगढ़
70. कारिन्दा सिंह, श्री — मथुरा
71. काली प्रसाद, श्री — देवरिया
72. किरत सिंह, श्री — सहारनपुर
73. किशन लाल राजपूत, श्री — पीलीभीत
74. कुशाग्र सागर, श्री — बदायूं
75. कृष्णपाल मलिक, श्री — बागपत
76. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
77. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री — बलरामपुर
78. कैलाश नाथ सोनकर, श्री — वाराणसी
79. कैलाश सिंह राजपूत, श्री — कन्नौज
80. गंगा, श्री — कुशीनगर
81. गरिमा सिंह, श्रीमती — अमेठी
82. गिरीश चन्द्र यादव, श्री — जौनपुर
83. गुलाब देवी, श्रीमती — सम्भल
84. गौरव कुमार, श्री — बाराबंकी
85. गौरी शंकर, श्री — जालौन
86. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री — बांदा
87. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री — बस्ती
88. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री — चित्रकूट
89. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
90. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री — बरेली
91. जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
92. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
93. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 — प्रयागराज
94. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री — फतेहपुर
95. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
96. जयप्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
97. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
98. जयमंगल, श्री — महाराजगंज
99. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
100. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री — मेरठ
101. जितेन्द्र वर्मा, श्री — आगरा
102. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 — आगरा
103. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
104. ज्ञानेन्द्र, श्री — महाराजगंज
105. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 — बरेली
106. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 — नाम-निर्देशित
107. तजीन फातमा, डा0 — रामपुर
108. तसलीम अहमद, श्री — बिजनौर
109. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
110. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री — शामली
111. त्रिवेणी राम, श्री — गाजीपुर
112. दयाराम चौधरी, श्री — बस्ती
113. दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
114. दारा सिंह चौहान, श्री — मऊ
115. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री — सन्तकबीर नगर
116. दिनेश खटीक, श्री — मेरठ

117. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
118. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
119. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
120. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
121. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
122. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
123. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
124. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
125. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
126. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
127. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
128. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
129. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
130. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
131. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
132. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
133. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
134. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
135. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
136. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
137. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
138. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
139. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
140. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
141. नाहिद हसन, श्री शामली
142. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
143. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
144. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
145. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
146. नीलम करवरिया, श्रीमती प्रयागराज
147. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
148. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
149. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
150. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
151. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
152. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
153. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
154. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
155. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
156. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
157. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
158. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
159. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
160. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
161. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
162. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
163. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
164. प्रवीण कुमार सिंह, श्री प्रयागराज
165. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
166. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
167. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
168. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
169. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
170. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
171. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
172. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
173. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
174. बाबा गोरखनाथ, श्री अयोध्या

175. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
176. बावन सिंह, श्री गोण्डा
177. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
178. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
179. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
180. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
181. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
182. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
183. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
184. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
185. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
186. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
187. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
188. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
189. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
190. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
191. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
192. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
193. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
194. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
195. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
196. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
197. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
198. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
199. महबूब अली, श्री अमरोहा
200. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
201. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
202. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
203. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
204. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
205. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
206. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
207. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
208. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
209. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
210. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
211. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
212. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
213. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री प्रयागराज
214. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
215. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
216. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
217. यासर शाह, श्री बहराइच
218. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
219. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
220. योगेश धामा, श्री बागपत
221. योगेश वर्मा, श्री खीरी
222. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
223. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
224. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
225. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
226. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
227. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
228. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
229. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
230. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
231. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
232. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
233. रवि शर्मा, श्री झांसी

234. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
235. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
236. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
237. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
238. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
239. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
240. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
241. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
242. राज करन कबीर, श्री बांदा
243. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
244. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
245. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
246. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
247. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
248. राजमणि कोल, श्री प्रयागराज
249. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
250. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
251. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
252. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
253. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
254. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
255. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
256. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
257. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
258. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
259. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
260. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
261. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
262. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
263. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
264. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
265. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
266. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
267. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
268. राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
269. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
270. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
271. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
272. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
273. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
274. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
275. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
276. लकी यादव, श्री जौनपुर
277. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
278. लाखन सिंह, श्री औरैया
279. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
280. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
281. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
282. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
283. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
284. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
285. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
286. विक्रमाजीत मौर्य, श्री प्रयागराज
287. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
288. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
289. विजय मिश्र, श्री भदोही
290. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
291. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा

292. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
293. विनय शाक्य, श्री औरैया
294. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
295. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
296. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
297. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
298. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
299. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
300. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
301. वीरेन्द्र, श्री एटा
302. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
303. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
304. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
305. शशांक वर्मा, श्री खीरी
306. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
307. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
308. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
309. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
310. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
311. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'' श्री कौशाम्बी
312. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
313. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
314. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
315. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती अयोध्या
316. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
317. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
318. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
319. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
320. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
321. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
322. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
323. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
324. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
325. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
326. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
327. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
328. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
329. संजय, श्री बुलन्दशहर
330. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
331. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
332. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
333. संजय यादव, श्री बलिया
334. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
335. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
336. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
337. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
338. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
339. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
340. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
341. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
342. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
343. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
344. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
345. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डा0 देवरिया
346. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
347. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
348. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
349. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
350. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
351. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
352. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली

353. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
354. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
355. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
356. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
357. सुचि, श्रीमती बिजनौर
358. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
359. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
360. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
361. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
362. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
363. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
364. सुभाष राय, श्री अम्बेडकर नगर
365. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
366. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
367. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
368. सुरेश कुमार, श्री शामली
369. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
370. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
371. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
372. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
373. सुरेश राही, श्री सीतापुर
374. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
375. स
ुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
376. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
377. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
378. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
379. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
380. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
381. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
382. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
383. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
384. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
385. सौरभ सिंह, श्री खीरी
386. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
387. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
388. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
389. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
390. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
391. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
392. हरीराम, श्री सोनभद्र
393. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
394. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री प्रयागराज
395. हाकिम लाल बिन्द, श्री प्रयागराज
396. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
397. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव
398. रिक्त
399. रिक्त
400. रिक्त
401. रिक्त
402. रिक्त
403. रिक्त
404. रिक्त

महामहिम राज्यपाल

श्रीमती आनन्दीबेन पटेल

मंत्री-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य मंत्री	गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भू-तत्व एवं खनिकर्म, राज्य कर, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप, प्रोटोकाल, सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स तथा प्रान्तीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा।
2	श्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्य मंत्री	लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर तथा सार्वजनिक उद्यम।
3	डा0 दिनेश शर्मा, उप मुख्य मंत्री	माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी।
4	श्री सूर्य प्रताप शाही	कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान।
5	श्री सुरेश कुमार खन्ना	वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा।
6	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय।
7	श्री सतीश महाना	औद्योगिक विकास।
8	श्री दारा सिंह चौहान	वन एवं पर्यावरण तथा जन्तु उद्यान।
9	श्री रमापति शास्त्री	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण।
10	श्री जय प्रताप सिंह	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।
11	श्री ब्रजेश पाठक	विधायी एवं न्याय तथा अभियन्त्रण सेवा।
12	श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास।
13	श्री श्रीकांत शर्मा	ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत।
14	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह)	ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास।
15	श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह	खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, एन0आर0आई0 तथा निवेश प्रोत्साहन।

1	2	3
16	श्री मुकुट बिहारी वर्मा	सहकारिता।
17	श्री आशुतोष टण्डन "गोपाल जी"	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन।
18	श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी"	नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
19	डा0 महेन्द्र सिंह	जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण।
20	श्री सुरेश राणा	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।
21	श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी	पंचायती राज।
22	श्री अनिल राजभर	पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण।
23	श्री राम नरेश अग्निहोत्री	आबकारी एवं मद्य निषेध।
24	श्री जितिन प्रसाद	प्राविधिक शिक्षा।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री उपेन्द्र तिवारी	खेल एवं युवा कल्याण (स्वतंत्र प्रभार) पंचायती राज (MOS)।
2	डा0 धर्म सिंह सैनी	आयुष विभाग (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (MOS)।
3	श्रीमती स्वाती सिंह	महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार।
4	डॉ0 नीलकंठ तिवारी	पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य (स्वतंत्र प्रभार), प्रोटोकाल (MOS)।
5	श्री कपिलदेव अग्रवाल	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास।
6	डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी	बेसिक शिक्षा।
7	श्री अशोक कटारिया	परिवहन विभाग (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य (MOS)।
8	श्री श्रीराम चौहान	उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात।
9	श्री रविन्द्र जायसवाल	स्टाम्प एवं निबन्धन तथा पंजीयन।

राज्य मंत्री

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्रीमती गुलाब देवी	माध्यमिक शिक्षा।
2	श्री जय प्रताप निषाद	पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास।
3	श्री जय कुमार सिंह जैकी	कारागार, लोक सेवा प्रबन्धन।
4	श्री अतुल गर्ग	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार तथा मातृ एवं शिशु कल्याण।
5	श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह)	खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति।
6	श्री मोहसिन रजा	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
7	श्री गिरीश चन्द्र यादव	आवास एवं शहरी नियोजन।
8	श्री बलदेव ओलख	जल शक्ति।
9	श्री मनोहर लाल मन्नु कोरी	श्रम एवं सेवायोजन।
10	श्री संदीप सिंह	वित्त, चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा।
11	श्री सुरेश कुमार उर्फ सुरेश पासी	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें।
12	श्री अनिल शर्मा	वन एवं पर्यावरण तथा जन्तु उद्यान।
13	श्री महेश चन्द्र गुप्ता	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन।
14	श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला	संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास।
15	डा0 जी0 एस0 धर्मेश	खाद्य प्रसंस्करण, नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन।
16	श्री लाखन सिंह राजपूत	खाद्य प्रसंस्करण, नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन।
17	श्रीमती नीलिमा कटियार	उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
18	श्री चौधरी उदयभान सिंह	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन।
19	श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय	लोक निर्माण।
20	श्री रमा शंकर सिंह पटेल	ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत।
21	श्री अजीत सिंह पाल	इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी।
22	छत्रपाल सिंह गंगवार	राजस्व।

1	2	3
23	श्री पल्टूराम	सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा।
24	डॉ0 संगीता बलवन्त	सहकारिता।
25	श्री संजीव कुमार	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण।
26	श्री दिनेश खटीक	जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण।
27	श्री धर्मवीर सिंह	औद्योगिक विकास।

नेता विरोधी दल
श्री राम गोविन्द चौधरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री हृदय नारायण दीक्षित

उपाध्यक्ष

श्री नितिन अग्रवाल

प्रमुख सचिव

श्री प्रदीप कुमार दुबे

अधिष्ठाता मण्डल (2020-2021)

1-श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़)

2-डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर)

3-श्री मनीष असीजा, सदस्य, विधान सभा (फिरोजाबाद)

4-श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सदस्य, विधान सभा (मथुरा)

5-श्री फतेह बहादुर, सदस्य, विधान सभा (गोरखपुर)

6-श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा (खीरी)

7-श्री संजय गर्ग, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

8-श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, सदस्य, विधान सभा (अमेठी)

9-डॉ0 अरूण कुमार, सदस्य, विधान सभा (बरेली)

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सत्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-357

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
4. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
9. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
12. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
13. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
14. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
15. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
16. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
17. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
18. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
19. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
20. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
21. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
22. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
23. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
24. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
25. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
26. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
27. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
28. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
29. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
30. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
31. असलम अली, श्री — हापुड़
32. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
33. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
34. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
35. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
36. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
37. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
38. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
39. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
40. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
41. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — अयोध्या
42. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
43. उज्जवल रमण सिंह, श्री — प्रयागराज

44. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
45. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
46. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री कानपुर नगर
47. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
48. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
49. उषा सिरोही, श्रीमति बुलन्दशहर
50. ओमकुमार, श्री बिजनौर
51. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
52. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
53. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
54. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
55. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
56. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
57. काली प्रसाद, श्री देवरिया
58. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
59. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
60. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
61. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
64. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
65. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
66. गंगा, श्री कुशीनगर
67. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
68. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
69. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
70. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
71. गौरी शंकर, श्री जालौन
72. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
73. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
74. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
75. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
76. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
77. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
78. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
79. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
80. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
81. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
82. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
83. जयमंगल, श्री महाराजगंज
84. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
85. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
86. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
87. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
88. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
89. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
90. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
91. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
92. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
93. तजीन फातमा, डा0 रामपुर
94. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
95. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
96. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
97. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
98. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
99. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
100. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
101. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
102. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
103. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर

104. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
105. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
106. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
107. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
108. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
109. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
110. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
111. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
112. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
113. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
114. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
115. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
116. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
117. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
118. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
119. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
120. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
121. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
122. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
123. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
124. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
125. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
126. नाहिद हसन, श्री शामली
127. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
128. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
129. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
130. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
131. नीलम करवरिया, श्रीमती प्रयागराज
132. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
133. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
134. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
135. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
136. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
137. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
138. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
139. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
140. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
141. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
142. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
143. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
144. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
145. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
146. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
147. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
148. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
149. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
150. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
151. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
152. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
153. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
154. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
155. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
156. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
157. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
158. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
159. बावन सिंह, श्री गोण्डा
160. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
161. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
162. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
163. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी

164. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
165. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
166. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
167. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
168. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
169. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
170. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
171. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
172. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
173. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
174. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
175. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
176. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
177. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
178. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
179. महबूब अली, श्री अमरोहा
180. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
181. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
182. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
183. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
184. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
185. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
186. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
187. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
188. मानवेन्द्र सिंह, श्री शहजहांपुर
189. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
190. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
191. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
192. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री प्रयागराज
193. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
194. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
195. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
196. यासर शाह, श्री बहराइच
197. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
198. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
199. योगेश धामा, श्री बागपत
200. योगेश वर्मा, श्री खीरी
201. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
202. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
203. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
204. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
205. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
206. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
207. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
208. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
209. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
210. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
211. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
212. रवि शर्मा, श्री झांसी
213. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
214. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
215. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
216. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
217. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
218. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
219. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
220. राज करन कबीर, श्री बांदा
221. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
222. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
223. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़

224. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
225. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
226. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
227. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
228. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
229. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
230. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
231. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
232. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
233. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
234. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
235. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
236. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
237. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
238. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
239. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
240. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
241. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
242. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
243. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
244. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
245. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
246. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
247. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
248. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
249. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
250. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
251. लकी यादव, श्री जौनपुर
252. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
253. लाखन सिंह, श्री औरैया
254. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
255. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
256. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
257. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
258. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
259. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
260. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
261. विक्रमाजीत मौर्य, श्री प्रयागराज
262. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
263. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
264. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
265. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
266. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
267. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
268. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
269. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
270. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
271. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
272. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
273. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
274. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
275. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
276. शशांक वर्मा, श्री खीरी
277. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
278. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
279. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
280. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
281. शीतला प्रसाद, ''पप्पू पटेल'' श्री कौशाम्बी
282. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर

283. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
284. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
285. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
286. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
287. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
288. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
289. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
290. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
291. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
292. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
293. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
294. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
295. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
296. संगीता चौहान, श्रीमति अमरोहा
297. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
298. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
299. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
300. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
301. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
302. संजय यादव, श्री बलिया
303. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
304. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
305. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
306. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
307. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
308. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
309. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
310. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
311. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
312. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
313. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
314. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डा0 देवरिया
315. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
316. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
317. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
318. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
319. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
320. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
321. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
322. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
323. सुचि, श्रीमति बिजनौर
324. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
325. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
326. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
327. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
328. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
329. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
330. सुभाष राय, श्री अम्बेडकर नगर
331. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
332. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
333. सुरेश कुमार, श्री शामली
334. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
335. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
336. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
337. सुरेश राही, श्री सीतापुर
338. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
339. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
340. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
341. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
342. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
343. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर

344. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0	मेरठ	354. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0	जौनपुर
345. सोवरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	355. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
346. सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी	356. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती	आगरा
347. सौरभ सिंह, श्री	खीरी	357. हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव
348. स्वाती सिंह, श्रीमती	लखनऊ	358. रिक्त	
349. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर	359. रिक्त	
350. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर	360. रिक्त	
351. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी	361. रिक्त	
		362. रिक्त	
352. हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद	363. रिक्त	
353. हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस	364. रिक्त	

नोटः- मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) जलशक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह), पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), परिवहन, संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक कटारिया) तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00 बजे] **राष्ट्रीय-गीत**

श्री अध्यक्ष-

वन्दे मातरम् के लिए खड़े हो जाएं।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्।

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम निधन की सूचनायें लेते हैं।

[11:02 बजे] उपाध्यक्ष का निर्वाचित सर्व सम्मति से होने तक चुनाव स्थगित करने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश विधान सभा का इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

निधन की सूचनायें लेना है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हमेशा यह प्राविधान रहा है कि माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष से होंगे और निर्विरोध होंगे और माननीय उपाध्यक्ष विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और वह भी निर्विरोध होंगे।

श्री अध्यक्ष-

हम निधन की सूचनायें ले रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आज इस उत्तर प्रदेश विधान सभा में आप जैसे महान व्यक्तित्व के अध्यक्ष के पद पर आसीन रहते हुए अगर इस इतिहास का काला अध्याय देखा जाए तो यह सबसे बड़ी बुरी बात इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर विचार हो। पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों की एक साथ बैठक हो तथा उसमें कोई निर्णय सर्वसम्मत से हो इसलिए आज के उपाध्यक्ष का जो चुनाव है इसको आप टाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप एक मिनट सुन लीजिए।

संसदीय कार्य वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी चूंकि बात आ गई इसलिए सरकार का पक्ष भी आना जरूरी है। आप एक मिनट का समय हमें भी दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हमारे इस सदन की और देश की सभी संसदीय परम्पराओं की परिपाटी रही है कि निधन के निदेश हम लोग सबसे पहले लेते है और कार्य-मंत्रणा समिति में भी हम लोगों ने यह तय किया था कि आज माननीय कल्याण सिंह जी और अनेक पूर्व विधायकों के निधन की सूचना थी जिसे हम लोगों को पहले लेना चाहिए था इसलिए यह परिपाटी तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि निधन के निदेश में भी भाषण होने लगे। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आप क्या कहना चाह रहे थे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कल जो कुछ भी कार्य-मंत्रणा समिति में बैठकर तय किया था यह उसका उल्लंघन कर रहे है और जो कुछ भी आपने कहा है मान्यवर, इसे या तो कार्यवाही से निकाल दिया जाए, नहीं तो मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। आप हमें बोलने की अनुमति देंगे और हम बोलेंगे। मान्यवर, हमने परम्परा पहले नहीं तोड़ी। इस विधान सभा की यह परम्परा है कि हमेशा उपाध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। 2007 से लेकर 2012 तक जो सरकारें यहां पर थीं उस समय भी इन्होंने कोई कैंडीडेट तैयार नहीं किया था। 2007 से 2012 तक यह पांच साल तक कोई कैंडीडेट तय नहीं कर पाये। नतीजा यह हुआ कि उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया। 2012 में जो सरकार आई उन्होंने भी अपना कोई कैंडीडेट तय नहीं किया इसलिए परम्परा तो पहले से तोड़ी गई है, उपाध्यक्ष का चुनाव न कराकर। हमने कहां परम्परा तोड़ी है। हमने तो साढ़े चार साल यह इंतजार किया कि यह कोई कैंडीडेट दे दें तो

हम उसका चुनाव कर दें। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) जब यह अनिर्णय के शिकार हुए। इनके आपस में इतनी गुटबाजी थी कि इनके सिर फुटव्वल की वजह से कोई कैंडीडेट तय नहीं हो पाया और जब कैंडीडेट तय नहीं हो पाया इसलिए हमने यह जिम्मेदारी निभाई। हमने कहा कि आने वाली पीढ़ी यह देखेगी कि हमारे जमाने में भी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ इसलिए हमने साढ़े चार साल बाद भी उस परम्परा का भी निर्वाह किया और अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जब आपने इनको सुन लिया तो फिर इनकी बात का जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा। जो 2012 से 2017 के बीच की बात यह कहे या जो बसपा सरकार थी उसकी बात कहे तो उसमें चुनाव हुआ ही नहीं। तो फिर परम्परा का विरोध कैसे हुआ।

श्री अध्यक्ष-

पहले निधन के निर्देश ले लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जब बसपा की सरकार थी, उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, उसमें उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। मा0 मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ और मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी को निर्विरोध उपाध्यक्ष बनवाने का काम किया। यह है परम्परा। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कल प्रेस में कहा कि हमने नाम मांगा, विपक्ष ने नाम दिया ही नहीं। मा0 मुख्य मंत्री जी आपका बहुत अभूतपूर्व व्यक्तित्व है, यह कुसएँ है क्या आपने कभी फोन से भी हमसे बात की, क्या आपने कभी चिट्ठी हमको लिखी, क्या आपने कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी या अपना दल की आपने कभी मीटिंग बुलायी कि उपाध्यक्ष का चुनाव होना है इस पर आप लोगों की क्या राय है ? एक बाइट कल आपने यह घोषणा कर दी तो जो उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल होता है तो उसके हिसाब से उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का होना चाहिए। जब आपने अपनी पार्टी के कंडीडेट की घोषणा कर दी है, तब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे वरिष्ठ किसान के बेटे और इस प्रदेश के कुमएँ समाज के सबसे बड़े नेता को उन्होंने उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं आपके माध्यम से आपसे और मा0 मुख्य मंत्री जी से और मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह सदन थोड़े दिन का है, मुख्य मंत्री जी आपके रहते अगर यह परम्परा टूटे तो ठीक नहीं है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस उपाध्यक्ष के चुनाव को टाल दीजिए। सब विपक्षी दल के नेता लोग बैठें, विचार-विमर्श हो और सर्वसम्मति से नाम तय करें। परम्परा को रखिये। जब आज तक आपने परम्परा को निभाया है तो इस परम्परा को भी आप कायम रखिये। आपका इतिहास में नाम लिखा जायेगा। नहीं तो आपका नाम काले अक्षरों में इतिहास में लिखा जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, परम्परा पहले 2007 से लेकर 2012 तक तोड़ी गयी। तब यह कहाँ थे। उस समय भी यह पांच साल तक कंडीडेट तय नहीं कर पाये। इसलिए चुनाव नहीं हुआ। बसपा चुनाव कराने को तैयार थी। हम सदन में साक्षी है। लेकिन यह अपना कंडीडेट नहीं तय कर पाये। उस वक्त परम्परा टूटी। तब इन्होंने नहीं कहा कि काला अक्षर में किसका नाम लिखा जायेगा। 2012 से लेकर 2017 तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। यह परम्परा तोड़ी, नियमावली के खिलाफ काम हुआ। उसमें किसका नाम काला अक्षरों में लिखा जायेगा। उसका भी नाम काला अक्षरों में लिखा जायेगा जिसने पहले परम्परा तोड़ी। मान्यवर, यह अपनी बात भूल जाते है और जब हम 1996 से लेकर 2002 तक सत्ता में थे तो हमने श्री राम आसरे वर्मा जी को, जो पिछड़ी जाति के थे, हम जाति का नाम नहीं लेना चाहते थे, उनको हमने उपाध्यक्ष के रूप में इसी कुसएँ पर बिठाया था। तो यह कहना इनकी ज्यादती है, यह कहना इनको शोभा नहीं देता कि हमने परम्परा तोड़ी है। परम्परा इन्होंने तोड़ी है, हमने नहीं तोड़ी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय का अंतिम निर्णय माना जाता है। अंतिम उपाध्यक्ष का चुनाव मा0 मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्य मंत्री थे तब हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के अग्रवाल जी को हम लोगों ने सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष बनाया था उसके बाद कोई उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। आप दादा के जमाने की बात ले आयेंगे तो उससे नहीं बनेगा। सबसे बाद में मुख्य मंत्री हुये थे मा0 मुलायम सिंह यादव।

मान्यवर, तब उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। उनके प्रत्याशी श्री अग्रवाल जी को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष बनाया गया था और वहां पर बिठाया गया था। हमने परम्परा नहीं तोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी परम्परा तोड़ रही है। मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस महान सदन जो लोकसभा के बाद उत्तर प्रदेश विधान सभा की देश में मान्यता है। इस महान सदन की परम्परा को नियमों को, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए आपसे प्रार्थना है कि उपाध्यक्ष का चुनाव आज के दिन टाल दीजिए। उसके बाद विपक्ष के साथ बैठक कीजिए और फिर आप और हम मिलकर तय करेंगे कि विपक्ष का कौन आदमी उपाध्यक्ष का प्रत्याशी होगा, जो सर्वसम्मति से निर्वाचित हो।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है कि आप विधान सभा की कार्यवाही देख लीजिए। कोई भी विधान सभा का सत्र ऐसा नही गया होगा, जिसमें औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मेरे द्वारा यह निवेदन न किया गया हो कि उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। इस बात को यह हवा में उड़ा देते थे, यह सुनने का प्रयास भी नहीं करते थे और इन पांच सालों में इनके द्वारा कभी-भी मांग नहीं भेजी गयी कि उपाध्यक्ष का चुनाव हो। तो परम्परा यह क्या बताएंगे। मान्यवर, जो विधान सभा की कार्यवाही है, वह आपके सामने है।

[11:12 बजे] **उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार**

श्री अध्यक्ष-

मुझे इस बात का खेद है और यह बहुत पुरानी परिपाटी है कि हमारा कोई साथी, वरिष्ठ नेता जो इस सदन का सदस्य रहा हो, उसका निधन हो जाए और हम शोक व्यक्त करने की मद भी अपने एजेंडे में लिख दें और उसके बाद उसकी लगातार अवहेलना करें, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है और अब मै निधन के निर्देश लेता हूँ।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे सदन को अत्यन्त दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का लगभग 90 वर्ष की आयु में दिनांक 21 अगस्त, 2021 को निधन हो गया। श्री कल्याण सिंह जी का जन्म दिनांक 05 जनवरी, 1932 को ग्राम-मढ़ौली, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0टी0 की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण कर अध्यापन कार्य शुरू किया। वर्ष 1962 में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर सार्वजनिक जीवन से जुड़े। श्री कल्याण सिंह जी एक ओजस्वी वक्ता एवं कुशल राजनेता थे। उन्होंने लगभग 06 दशक से अधिक समय तक सार्वजनिक जीवन में कुछ उच्च मानदण्ड स्थापित किए। श्री कल्याण सिंह जी अतरौली विधान सभा से वर्ष 1967, 1969, 1974 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर वर्ष 1977 में जनता पार्टी, वर्ष 1985, 1989, 1991, 1993 1996 में भारतीय जनता पार्टी से तथा वर्ष 2002 में राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी से कुल दस बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2004 एवं वर्ष 2009 में लोक सभा सदस्य रहे थे। यह अपने आप में एक कीर्तिमान और उनकी लोकप्रियता एवं जनप्रियता का द्योतक है। श्री कल्याण सिंह जी जून, 1991 से दिसम्बर, 1992 तक प्रथम बार तथा सितम्बर, 1997 से नवम्बर, 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे है। श्री कल्याण सिंह, श्री रामनरेश यादव मंत्रि-मण्डल के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे हैं। वह विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा विधान सभा में नेता विरोधी दल भी रहे है। वह वर्ष 2014 में राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन थे और वह राज्यपाल पद पर वर्ष 2019 तक आसीन रहे। इसके साथ ही सन 2015 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के अतिरिक्त कार्यभार का भी निर्वहन किया। इस बीच उन्होंने जनहित में ऐतिहासिक निर्णय भी लिये। श्री कल्याण सिंह जी ने जे0पी0 आंदोलन, अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। श्री कल्याण सिंह जी ने समाज के सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किया। उनके व्यक्तित्व में प्रशासनिक क्षमता, ईमानदारी और कर्मठता का समावेश था। अपने असाधारण व्यक्तित्व में सेवाभाव से उन्होंने प्रदेश को गौरवान्वित किया। उनके निधन से प्रदेश, देश एवं

पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुःखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि सदन की ओर से शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं अन्य सभी दिवंगत मा0 पूर्व सदस्यों के प्रति सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। जिनका विगत सत्र के बाद निधन हुआ है आज वे भौतिक शरीर से हमारे बीच नहीं है, उन सबके प्रति भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, बड़ी दुःखद सूचना आपने इस सदन को दी इस प्रदेश तथा देश के महान नेता पूर्व मुख्य मंत्री, पूर्व राज्यपाल मा0 कल्याण सिंह जी के निधन की सूचना, जो आपने दी, उससे हम लोग स्तब्ध है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह का निधन 21 अगस्त, 2021 को हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री कल्याण सिंह का जन्म 05 जनवरी, 1932 को ग्राम-मढ़ौली, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एल0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कल्याण सिंह वर्ष 1967, 1969, 1974 में जनसंघ, वर्ष 1977 में जनता पार्टी, वर्ष 1985, 1989, 1991, 1993 भारतीय जनता पार्टी व वर्ष 2002 में राष्ट्रीय कान्ति पार्टी से व 1996 में निर्वाचन क्षेत्र अतरौली, जिला अलीगढ़ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे 2004 व 2009 में लोक सभा सदस्य रहे थे। श्री कल्याण सिंह जून 1991 से दिसम्बर 1992 तक प्रथम बार तथा सितम्बर 1997 से नवम्बर 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। वर्ष 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इसके साथ ही 2015 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद के अतिरिक्त कार्यभार का निर्वहन किया। श्री कल्याण सिंह, श्री रामनरेश यादव मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। वे राष्ट्रीय सेवक संघ के तहसील कार्यवाहक, जनसंघ के जिला मंत्री व जिला प्रधान रहे थे। वे आपातकाल में जे0पी0 आन्दोलन के अन्तर्गत अलीगढ़, नैनी तथा वाराणसी जेल में बन्दी रहे थे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेता विरोधी दल तथा प्रोटेम अध्यक्ष रहे थे। इसके अतिरिक्त वे भारतीय जनता पार्टी, विधान मण्डल दल के नेता तथा उपाध्यक्ष व भाजपा के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। श्री कल्याण सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 कल्याण सिंह जी से मेरा व्यक्तिगत बहुत बढ़िया रिश्ता था, आपसे भी था वैसा कर्मठ, निर्णय लेने में सक्षमता, निर्भीकता और जो उन्होंने निर्णय ले लिया, किसी के दबाव में कभी उन्होंने उसको पलटा नहीं। हमको याद है, 1977 में वह स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने अपने विभाग में नियम बनाया कि जो डाक्टर इतने वर्ष तक एक जगह रह चुके है, उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा और उन्होंने पूरे प्रदेश में ट्रांसफर किया। उसमें लखनऊ के एक महान चिकित्सक जो सबके प्रिय थे, एस0सी0 राय जी, वह बलरामपुर में थे, बहुत दिन से थे और उनका ट्रांसफर हो गया कानपुर में, जो

उन्होंने नियमावली बनायी। उन पर बहुत दबाव पड़ा, यहाँ तक कि केन्द्र सरकार का भी दबाव पड़ा, जनता पार्टी की सरकार थी। यहाँ तक कि उस समय के विदेश मंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने भी उनसे कहा। उन्होंने साफ कहा कि अगर मै स्वास्थ्य मंत्री रहूँगा तो अपने बनाये हुए नियम को पलटूंगा नहीं। अगर उनका ट्रांसफर किसी को कराना है तो हमसे स्वास्थ्य विभाग ले लिया जाए। ऐसे बोल्ड निर्णय लेने वाले बहुत कम लोग होते है। वह नेता विपक्ष भी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वह तुकबन्दी का भाषण बड़ी अच्छी तरह से दिया करते थे। कुछ दिन हमारी पार्टी में भी रहे, समाजवादी पार्टी में और हमारी पार्टी को भी आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही। श्री कल्याण सिंह अगर अस्वस्थ नहीं होते तो अभी फिर हम लोगों को राजनीति में मार्गदर्शन देते। ऐसे महान नेता को हम लोगों ने खोया है। श्री कल्याण सिंह के नहीं रहने से राजनीति का, सामाजिक समरसता का और संसदीय परम्पराओं और मान्यताओं का बहुत बड़ा हरास हुआ है।

माननीय अध्यक्ष जी, 02 और लोग है, उनके लिए साथ में ही कह दिया जाए, क्योंकि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उनके लिए भी कह दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ठीक है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि श्री कल्याण सिंह के परिवार को मेरी तरफ से दी गयी श्रद्धांजलि को उनके परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें। मैं पूरे विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और सदन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जिले के श्री अनिल कुमार, जिनका 19 मई, 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 57 वर्ष के थे। श्री अनिल कुमार का जन्म 01 जनवरी, 1964 को ग्राम-गुरगुजपुर, सवंरा, जिला बलिया में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। मैं इसी क्षेत्र से एम0एल0ए0 हुआ करता था, अब तो मै बाँसडीह से हो गया। श्री अनिल कुमार वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र रसड़ा (अ0जा0), जिला बलिया से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अनिल कुमार एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी गहरी रूचि थी। श्री अनिल कुमार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। अपनी पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से और पूरे सदन की तरफ से मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवार को मेरी तरफ से दी गयी श्रद्धांजलि को उनके परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रजनी कांत का 29 अगस्त, 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री रजनी कान्त का जन्म

04 जुलाई, 1938 को गाजीपुर में हुआ था। उन्होंने चिकित्सा स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रजनी कांत वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी दक्षिण जिला-वाराणसी से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रजनी कांत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वाराणसी के उपाध्यक्ष, आर्य कन्या विद्यालय तथा भिनगा राज अनाथ आश्रम, वाराणसी के ट्रस्टी रहे थे।

वे अनेक सामाजिक संस्थाओं के सदस्य, संरक्षक तथा अध्यक्ष रहे थे। विकास कार्यों, जनसेवा एवं अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रजनी कान्त के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे विपक्ष की तरफ से, पूरे सदन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी श्रद्धांजलि उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें।

***श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-**

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हमें निधन की सूचना मिली है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का दिनांक 21 अगस्त, 2021 को निधन हो गया। वह लगभग 90 वर्ष के थे। श्री कल्याण सिंह का जन्म 05 जनवरी, 1932 को ग्राम मढ़ौली, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एल0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कल्याण सिंह जी वर्ष 1967, 1969, 1974 में जनसंघ, वर्ष 1977 में जनता 1993 व 1996 में भारतीय जनता पार्टी व वर्ष 2002पार्टी, वर्ष 1985, 1989, 1991, में राष्ट्रीय कान्ति पार्टी से निर्वाचन क्षेत्र अतरौली, जिला अलीगढ़ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 2004 व 2009 में लोक सभा सदस्य भी रहे थे। श्री कल्याण सिंह जी जून 1991 से दिसम्बर 1992 तक पहली बार तथा सितम्बर 1997 से नवम्बर 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। वर्ष 2014 से 2019 तक वे राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इसके साथ ही वर्ष 2015 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद के अतिरिक्त कार्यभार का निर्वहन किया। श्री कल्याण सिंह जी, श्री राम नरेश यादव मंत्रि-मण्डल के सदस्य भी रहे थे। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तहसील कार्यवाहक, जनसंघ के जिला मंत्री व जिला प्रधान रहे थे। वे आपात काल में जे0पी0 आंदोलन के अन्तर्गत अलीगढ़, नैनी तथा वाराणसी जेल में बन्दी रहे थे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेता विरोधी दल तथा प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे थे। इसके अतिरिक्त वे भारतीय जनता पार्टी, विधान मण्डल दल के नेता तथा उपाध्यक्ष व भाजपा के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय श्री कल्याण सिंह जी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह सभी लोग पूरी तरह से जानते है कि माननीय कल्याण सिंह जी एक नेशनल लीडर थे, उनका एक बड़ा चेहरा था। यह बात सही है और उस वक्त मैं तो राजनीति में नहीं था लेकिन हम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग उनके बारे में सुनते रहते थे और यह सही है कि वह एक बहुत कुशल, बड़े ही स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे। यह भी है कि वह बहुत ही ईमानदार छवि के व्यक्ति थे और उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि वह बहुत इन्नोसेण्ट, भोले, हम्बल थे। वह दिल से भी बड़े सरल स्वभाव के थे और उनके अन्दर बहुत ज्यादा राजनीतिक कूटनीति नहीं थी। वह जो कहते थे और जो बातें उनको सही लगती थीं, उनको वे निडर होकर करते थे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व माननीय मुख्य मंत्री महोदय के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष जी ने हमारे दो-तीन और साथियों के निधन की सूचना भी दी है। श्री अनिल कुमार जी का भी दिनांक 19 मई, 2021 को देहान्त हो गया, वह लगभग 57 वर्ष के थे। इसी के साथ हमारे भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री रजनीकान्त जी का दिनांक 29 अगस्त, 2021 को निधन हुआ, वह लगभग 83 वर्ष के थे। साथ ही हमारे एक अन्य भूतपूर्व साथी श्री कमलेश कुमार सिंह का निधन दिनांक 05 सितम्बर, 2021 को हो गया, वह लगभग 71 वर्ष के थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सबसे पहले आप माननीय कल्याण सिंह जी के परिवार को मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से शोक संवेदना पहुँचाने की कृपा करें। साथ ही हमारे जो अन्य साथी हमारे बीच से चले गए, उन सभी लोगों के परिवारों को मेरे तथा मेरे दल की तरफ से शोक संवेदना पहुँचाने की कृपा करें। इसी के साथ मैं अपने आप को माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय नेता विरोधी दल के साथ सम्बद्ध करता हूँ।

***श्रीमती लीना तिवारी-**

आदरणीय अध्यक्ष जी, अत्यंत दुखी मन से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का 21 अगस्त, 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी, 1932 को ग्राम मढ़ौली, तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एल0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। वर्ष 2002 में राष्ट्रीय कान्ति पार्टी के निर्वाचन क्षेत्र अतरौली जिला अलीगढ़ से विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे 2004 तथा 2009 में लोक सभा के सदस्य रहे थे। श्री कल्याण सिंह जी, जो जून वर्ष 1991 से दिसम्बर 1992 तक प्रथम बार तथा सितम्बर, 1997 से नवम्बर, 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक वे राजस्थान के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। इसके साथ ही वर्ष 2015 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार का निर्वहन् किया है। श्री कल्याण सिंह, श्री राम नरेश यादव मंत्रि-मण्डल के सदस्य रहे थे। वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तहसील कार्यवाहक जनसंघ के जिला मंत्री व जिला प्रधान रहे थे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेता विरोधी दल तथा प्रोटेम अध्यक्ष रहे थे। इसके अतिरिक्त वे भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता तथा उपाध्यक्ष व भाजपा के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। श्री कल्याण सिंह जी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब ने आदरणीय कल्याण सिंह जी के रूप में अपने संरक्षक, अपने अभिभावक को खो दिया है। मैं अपनी पार्टी अपना दल (एस0) की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि और भावांजलि अर्पित करती हूँ। इसी तरह से इस आदरणीय सदन के हमारे उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अनिल कुमार का 19 मई 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 57 वर्ष के थे। श्री अनिल कुमार जी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रजनीकान्त का 19 अगस्त, 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री रजनीकान्त इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन वाराणसी के उपाध्यक्ष, आर्य कन्या विद्यालय तथा भिनगा राज अनाथ आश्रम के ट्रस्टी भी रहे है। श्री रजनीकांत के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कमलेश कुमार सिंह का 5 दिसम्बर, 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 71 वर्ष के थे। श्री कमलेश कुमार सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाजसेवा में उनकी विशेष रूचि थी। श्री कमलेश कुमार सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि हमारी पार्टी अपना दल (एस0) की तरफ से सभी शोक संतप्त परिवारों को संवेदना पहुँचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

अब कोई दलीय नेता तो नहीं छूट रहे हैं।

***श्री कैलाश नाथ सोनकर-**

आदरणीय अध्यक्ष जी, बड़े ही दुखी मन से नेता सदन, नेता विरोधी दल, नेता बसपा और नेता अपना दल के साथ इस शोक संवेदना से अपने को सम्बद्ध करते हुए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त, 2021 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी, 1932 को ग्राम-मढ़ौली, तहसील-अतरौली, जिला-अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कल्याण सिंह वर्ष, 1967, 1969, 1974 में जनसंघ पार्टी, वर्ष, 1977 में जनता पार्टी, वर्ष, 1985, 1989, 1991, 1993 व 1996 में भारतीय जनता पार्टी व वर्ष, 2002 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से निर्वाचन क्षेत्र अतरौली, जिला-अलीगढ़ से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष, 2004 व 2009 में लोकसभा सदस्य रहे थे। श्री कल्याण सिंह जून, 1991 से दिसम्बर, 1992 तक प्रथम बार तथा सितम्बर, 1997 से नवम्बर, 1999 तक दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। वर्ष, 2014 से 2019 तक वे राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। इसके साथ ही वर्ष, 2015 में उन्होंने हिमांचल प्रदेश के राज्यपाल पद के अतिरिक्त कार्यभार का निर्वहन किया। श्री कल्याण सिंह, श्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रामनरेश यादव मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे थे। वे राष्ट्रीय सेवक संघ के तहसील कार्यवाहक, जन संघ के जिला मंत्री व जिला प्रधान रहे थे। वे आपात काल में जे0पी0 आंदोलन के अंतर्गत अलीगढ़, नैनी तथा वाराणसी जेल में बंदी रहे थे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेता विरोधी दल तथा प्रोटेम अध्यक्ष रहे थे। इसके अतिरिक्त वे भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता तथा उपाध्यक्ष व भाजपा के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से श्री कल्याण सिंह जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एवं हमारी तरफ से शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। साथ-ही-साथ श्री अनिल कुमार जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रहे और श्री रजनीकांत जी का 29 अगस्त, 2021 को उनका निधन हो गया वह भी इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रहे और श्री कमलेश कुमार सिंह जी भी विधान सभा के सदस्य रहे। ये सारे लोग जो दिवंगत हो चुके है उन सारी दिवंगत आत्माओं को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपनी तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो और आप द्वारा हमारी पार्टी और हमारी तरफ से शोक संवेदनाएँ उनके परिवार तक पहुंचायी जाय। धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि हमसे श्री कमलेश कुमार सिंह जी का नाम छूट गया था। कमलेश कुमार सिंह जो दिवंगत हो गये वह 71 वर्ष के थे। मैं अपने दल की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, सदन की तरफ से श्री कमलेश कुमार सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैने इससे पहले जो शोक संवेदना व्यक्त की है उसमें श्री कमलेश कुमार सिंह जी का नाम जोड़ दिया जाय और उनके परिवार को भी मेरी शोक संवेदना पहुचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। यह आदरणीय सदन शोकाकुल है, शोकग्रस्त है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री और तमाम वरिष्ठ प्रतिष्ठित पदों पर काम करने वाले देश के, उत्तर प्रदेश के अपने ढंग के अनूठे नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के निधन पर यहां आदरणीय मुख्य मंत्री, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय बसपा के नेता और अन्य नेताओं ने जो शोक उद्गार व्यक्त किये हैं मैं उन उद्गारों से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। कल्याण सिंह जी से मिलने वाले लोग उन्हें बहुत याद करते हैं और इस आदरणीय सदन में बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो उनके निकट रहे हैं। जो उनसे प्रभावित रहे है और जिन लोगों ने उनको भी प्रभावित किया है। महान व्यक्तित्वों में यह बात देखी जाती है कि वह प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते भी है। ऐसे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी, उनके विषय में जितना कुछ कहा जाये, वह कम होगा। उन्हें इस आदरणीय सदन ने आज शोक-सूचना के अंतर्गत याद किया है। उनके निधन से देश की

राष्ट्रीय राजनीति में एक विशेष प्रकार की रिक्ति हुई है। ऐसे ही हमारे इस आदरणीय सदन के पूर्व सदस्य, अनिल कुमार जी, रजनी कांत जी और कमलेश कुमार सिंह जी, इनके प्रति भी जो उद्गार आप महानुभावों ने व्यक्त किये हैं, मैं स्वयं को उनसे सम्बद्ध करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शान्ति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। मै इस आदरणीय सदन में व्यक्त शोकोद्गार उनके परिजनों और प्रियजनों तक पहुँचा दूँगा। आइये, हम शोक के लिए दो मिनट के लिए खड़े हों।

(सदन में दो मिनट का मौन रखा गया)

(ऊँ शान्ति)

[11:42 बजे] **नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक-18.10.2021 को नियम-301 की कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुई। सभी माननीय सदस्यों की सूचनाएँ स्वीकार कर ली गई हैं।

पहली सूचना श्री वीर विक्रम सिंह "प्रिंस" की जनपद शाहजहाँपुर के विधवा पेंशन में हुई अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के विकास खण्ड नवीवगंज के अन्तर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना की सूची का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ में माध्यमिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत पेंशन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री कुँ0 माधवेन्द्र प्रताप की जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरखनी में औद्योगिक विकास क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कतिपय कार्यों का निष्पादन कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री बम्बा लाल दिवाकर की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत छूटी-कड़ी मार्गों के नवनिर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में हैं, सातवी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत प्राचीन तीर्थ स्थल चन्द्रवार जैन मंदिर में मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवी सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकरनगर के विधानसभा क्षेत्र जलालपुर अन्तर्गत प्रमुख बाजार जलालपुर में बाई-पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवी सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के दुबग्गा हैदरगंज द्वितीय वार्ड में श्री राम चन्द्र मौर्य के घर से श्री विपुल दीक्षित के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवी सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम इमामपुर परगना में चक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवी सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत हिम सिटी पार्ट 2

हरदासी खेड़ा मटियारी में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में बढ़ती मँहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की जनपद बलिया के अन्तर्गत घाघरा नदी में आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सोलहवी सूचना श्री उज्ज्वल रमण सिंह की जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड के अन्तर्गत इंटर लाकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवी सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सोलानी व खजनावर खोल नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवी सूचना डॉ डी0 सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत अन्तर्गत कतिपय नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवी सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के बलदेव बरौनी, कैलास वाया मनगा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, इक्कीसवी सूचना श्री संजय गर्ग की भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवनों गृहकर/सम्पत्तिकर में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवी सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवी सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के मऊघाट स्थित पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवी सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केड़िया की जनपद कुशीनगर के हाटा क्षेत्र विद्युत सम्बन्धी लम्बित कार्यों का निष्पादन कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवी सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की धान/तिल की पराली जलाये जाने के बहाने किसानों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छब्बीसवी सूचना श्री अजय कुमार "लल्लू" की जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत सेवरही अन्तर्गत रितिक पुत्र परदेशी की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवी सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी की कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवी सूचना श्री मो0 फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में की गयी अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवी सूचना श्री ओम कुमार की जनपद बिजनौर के हल्दौर को नयी तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवी सूचना डा0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद अन्तर्गत मखुआपुर के पंचायत चुनाव में की गयी अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकत्तीसवी सूचना श्री राजीव कुमार सिंह "बब्बू भईया" की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में तथा बत्तीसवी सूचना मो0 असलम राईनी "एडवोकेट" की पुलिस अधीक्षक, बहराईच के आवासीय भवन को नये भवन में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमती से स्वीकृत सभी सूचनाएँ पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद-शाहजहाँपुर में विधवा पेंशन में हुई अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

"प्रिंस" वीर विक्रम सिंह-

[1][महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर में विधवा पेंशन में भारी पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है। इसकी जांच उप जिलाधिकारी जलालाबाद एवं उप जिलाधिकारी तिलहर द्वारा की गई, जिसें लाभार्थी मौके पर नहीं पाए गए और उनकी पेंशन क्रमबद्ध तरीके से निकाली जा रही है, जिससे धन का दुरूपयोग हो रहा है। इसकी शिकायत संबंधित उच्चाधिकारियों से की जा चुकी है, परन्तु अब तक दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-आजमगढ़ में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पेंशन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रार्थिनी शबाना अनवरी के पिता पूर्व प्रधानाचार्य शिब्ली नेशनल इं0का0 आजमगढ़ स्व0 श्री हकीमुद्दीन जो दिनांक 30.06.1988 को सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे थे। इनकी मृत्यु दिनांक 06.12.2005 को हो गयी। स्व0 श्री हकीमुद्दीन की एक मात्र अविवाहित पुत्री है। पिता की मृत्यु के बाद इनके जीवन यापन का कोई अन्य साधन नही है। प्रार्थिनी पेंशन सम्बन्धी पत्रावली जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को दिनांक 18.05.2018, 19.01.2019 को भेजा। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को क्रमशः पत्रावली प्राप्त हुई। किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक/उपशिक्षा निदेशक, आजमगढ़ को निर्देशित करने की कृपा करें ताकि प्रार्थिनी की पारिवारिक पेंशन शीघ्र जारी हो सके, जिससे प्रार्थिनी अपना जीवन यापन कर सके।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरखनी में औद्योगिक विकास क्षेत्र विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुँ0 माधवेन्द्र प्रताप-

[मान्यवर, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस-वे जो कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे बनने जा रहा है। यह एक्सप्रेस-वे हमारे वि0स0क्षे0 सवायजपुर जनपद हरदोई के विकास खण्ड-भरखनी से होकर गुजर रहा है। यदि हमारे विकास खण्ड भरखनी में औद्योगिक विकास क्षेत्र विकसित कर दिये जाये तो मात्र हमारे क्षेत्र को ही नही बल्कि पूरे जनपद को विकास की गति मिलेगी। भरखनी ब्लाक में 132 के0वी0 का विद्युत सब

[1] [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्टेशन स्थापित है एवं अडानी पावर का 50 मेगावाट का सोलर प्लांट यही पर भाहपुर सपहा गांव में स्थापित हो रहा है जिससे यहां पर उद्योगों के स्थापित होने के लिये बिजली की समस्या भी नही रहेगी। साथ ही भरखनी ब्लाक में कभी भी बाढ़ की कोई संभावना नहीं उत्पन्न होगी। जनहित में गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे वि0ख0 भरखनी में औद्योगिक विकास क्षेत्र विकसित किये जाने की नितांत आवश्यकता है।

अतः लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कतिपय कार्यों का निष्पादन कराये जाने के सम्बंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 309 रूधौली जनपद बस्ती सिंचाई हेतु विभाग द्वारा नहरों का निर्माण कराया गया है तथा आवगमन हेतु 1 कि0मी0 की दूरी पर पैदल पुल का निर्माण कराया गया है। मेरे क्षेत्रीय भ्रमण व चौपाल के दौरान किसानों के द्वारा पैदल पुल निर्माण कराये जाने हेतु मांग उठायी गयी है क्योंकि अधिकांश किसानों के चकों के बीच से नहर निकाली गयी है। परन्तु पैदल पुल के अभाव नहर पार करने के लिए किसानों को लगभग 2-3 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। पैदल पुल के लिए स्थान बिन्दु चिन्हित किये गये है। मेरे द्वारा चिन्हित स्थानों की सूची प्रश्न के माध्यम से तथा पत्र के माध्यम से शासन एवं सरकार को भी प्रेषित की गयी है।

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के सेवा नियमावली ब्रिटिश काल से चली आ रही है जिसमें सींचपाल के लिए 1000 हे0 तथा पर्यवेक्षक के लिए 3500 हे0 भूमि की सिंचाई हेतु जिम्मेदारी सौंपी गयी है। कर्मचारियों के अभाव के कारण वर्तमान कर्मचारियों को जिम्मेदारी के निर्वहन में अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे सिंचाई संघ उ0प्र0 के द्वारा प्रान्तीय स्तर पर प्रस्तावित नलकूप प्रभारी नियमावली एवं सींचपाल सींच पर्यवेक्षक राजस्व सेवा नियमावली में प्रख्यापन हेतु मांग की गयी है। सेवा नियमावली प्रख्यापन हेतु पत्रावली शासन में लम्बित है, जिसका प्रख्यापन किया जाना अति आवश्यक है।

सिंचाई विभाग से सम्बन्धित जल निगम के कर्मचारियों को बजट के अभाव में न तो वेतन प्राप्त हो पा रहा है और न ही पूर्व में स्वीकृत परियोजनाएं तथा मेन्टीनेन्स का कार्य ही हो पा रहा है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड सल्टौआ के ग्राम गवनिया में दस वर्ष पूर्व स्वीकृत वाटर हेड टैंक की टंकी न लगाये जाने के कारण पेय जल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपूर्ति का कार्य अधर में लटका हुआ है। विभाग द्वारा जल निगम को दो भागों में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में बाँटकर सारा कार्य प्राईवेट कम्पनियों के द्वारा कराया जा रहा है। जल निगम द्वारा निविदा न प्रकाशित किये जाने के कारण विभाग के पंजीकृत ए0बी0सी0डी0 वर्ग के ठेकेदारों व लोकल ठेकेदारों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गयी है। जिसका निराकरण कराया जाना अति आवश्यक है।

सिंचाई विभाग के ठेकेदारों द्वारा नहर की सफाई से निकली सिलट को मुख्य मार्ग व चक मार्गों पर छोड़ दिये जाने के कारण किसानों को आवगमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी शिकायत किसानों द्वारा तहसील दिवस में उठायी जा रही है। समस्या का निस्तारण कराया जाना जनहित अति आवश्यक है। उक्त प्रकरण जनहित से जुड़ा अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बलीय प्रश्न सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत छूटी-कड़ी सम्पर्क मार्गों के नव-निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[मान्यवर आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, जनपद उन्नाव में उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से शासन को प्रेषित छूटी-कड़ी सम्पर्क मार्गो की स्वीकृति अभी तक लम्बित है। जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में जन प्रतिनिधियों से 10 करोड़ की लागत से सम्पर्क मार्गो, छूटी-कड़ी सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रस्ताव मांगे गये थे। मेरे द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में सम्बन्धित आगणन प्रमुख सचिव लोक निर्माण अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित है। महोदय छूटी कड़ी की सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए सुगम यातायात हेतु छूटी-कड़ी सम्पर्क मार्गों के नवनिर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।]

जनपद-फिरोजाबाद के अन्तर्गत प्राचीन तीर्थ स्थल चन्द्रवार जैन मंदिर में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, जनपद फिरोजाबाद के प्राचीन तीर्थ स्थल चन्द्रवार के श्रद्धालुओं एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि उक्त तीर्थ स्थल चन्द्रवार में जैन मंदिर स्थित है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जमुना किनारे स्थित है तथा यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुनियों एवं श्रद्धालुओं का आवागमन होता रहता है, यहाँ पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से प्रतिवर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं।

उल्लेखनीय है कि चन्द्रवार क्षेत्र, यमुना किनारे स्थिति अति प्राचीन जैन मंदिर के परिसर एवं आस-पास सैकड़ों की संख्या में पुरातत्व महत्व की 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी की सैकड़ों प्रतिमायें उत्खनन के दौरान प्राप्त होती रहती है, जो संग्रालयों में संरक्षित करी गयी है। इस तीर्थ स्थल पर वर्तमान में श्रद्धालुओं एवं यात्रियों हेतु उचित सुविधा के साधनों को विकसित करने की महती आवश्यकता है।

इसी क्रम में उक्त तीर्थ स्थल पर एक हॉल, पॉच कमरे अटैच्ड बाथरूम, यात्रियों हेतु टीन शैड़ एवं भगवान के अभिषेक के लिए बॉथरूम का निर्माण कराये जाने से क्षेत्रीय जनता एवं श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा प्रदान होगी एवं पर्यटन की गतिविधियों का सकारात्मक संचार बढ़ेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अभिलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फीरोजाबाद में प्राचीन तीर्थ स्थल चन्द्रवार जैन मंदिर में एक हॉल, पॉच कमरे अटैच्ड बाथरूम, यात्रियों हेतु टीन शैड़ एवं भगवान के अभिषेक के लिए बॉथरूम का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-374 सैदपुर जनपद-गाजीपुर अन्तर्गत कुछ सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर है कि आम आदमी को पैदल चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

आपके माध्यम से इस सदन से मांग करता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्न मार्गो का कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

1- सिधौना बिहारीगंज मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढीकरण।

2- पहाड़पुर से कुर्बान सराय मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य।

3- सैदपुर से मौधियां वाया भीतरी मार्ग का मरम्मत कार्य।

4- पियरी से चकेरी सम्पर्क मार्ग का चौडीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य।

5- मुडियार से हसनपुर डगरा तक चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधानसभा क्षेत्र जलालपुर अन्तर्गत प्रमुख बाजार जलालपुर में बाइपास का निर्माण कराने जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष राय-

[मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद अम्बेडकरनगर की प्रमुख बाजार जलालपुर में प्रतिदिन जाम की समस्या से घण्टों-घण्टों तक आवागमन बाधित रहता है। उपरोक्त बाजार में स्थानीय जनता द्वारा काफी दिनों से बाईपास बनाने की मांग उठा रही है। परन्तु इस पर विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह जनहित का विषय है। उपरोक्त बाजार में बाईपास बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त बाजार में बाईपास बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-लखनऊ के दुबग्गा हैदरगंज द्वितीय वार्ड में श्री रामचन्द्र मौर्य के घर से श्री विपुल दीक्षित के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर मैं आपका ध्यान एक अविलम्नीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के दुबग्गा में सीतापुर बाईपास पर रेलवे पुल से पहले हैदरगंज द्वितीय वार्ड में श्री रामचन्द्र मौर्य जी के मकान से श्री विपुल दीक्षित के मकान तक 100 मीटर की सड़क व नाली का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः सदन के माध्यम से अनुरोध करना है कि जनहित में कालोनी के उक्त कार्यो को कराने का कष्ट करें। सदन की आभारी रहूँगी।]

जनपद-अम्बेडकर नगर के ग्राम इमामपुर परगना में चकमार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[मान्यवर कृपया प्रार्थीगण रामशब्द एवं 08 अन्य समस्त निवासिगण ग्राम-इमामपुर, परगना ग्रहरूलि अमबरपुर थाना-कोतवाली अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर 21 है जिसमे उल्लेख कि है कि गारा संख्या-601 ररबई 0.187 हैं स्थित ग्राम इमामपुर परगना व तहसील अकबरपुर जिला अम्बेहरानगर के सह-संक्रमणीय भूमिघर है। विपसी राम अचल पुत्र रामफेर से, निवाद होने के कारण कामगारी रत्न से समस्याए आ रही है, इनके द्वारा उक्त भूमि से सटे पुरुष व दक्षिणमार्ग से निभावर ही जरिये राजस्व, टीम पुलिस बल से उपस्थिति में हटाये जाने का अनुरोध किया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-बहराइच के विकास खण्ड नवीवगंज के अन्तर्गत प्रधान मंत्री आवास योजना की सूची का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा-

[मान्यवर मेरे विधान सभा क्षेत्र 283 नानपारा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोरहिया ब्लाक नवीवगंज नपद बहराइच में गरीबों हेतु प्रधानमंत्री आवास की सूची अपडेट नहीं है जिसकी वजह से पात्र गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ग्राम पंचायतें है जिसकी सूची अपडेट नहीं है, जिससे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रधानमंत्री आवास की सूची तत्काल अपटेट करवाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हॅ।]

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा रसड़ा अन्तर्गत बहने वाली टोंस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ के समय यहां के कृषकों को भारी तबाही का सामना करना पड़ता क्योंकि टोंस नदी में गाजीपुर से जनपद बलिया तक बने रिंग बंधे में दो जगह 500-500 मीटर का गैप छोड़ दिये जाने की वजह से इसी रास्ते बाढ़ का पानी ग्राम सभा सरायभारती,अतरसुवां, मुस्तफाबाद, कोप, खजुहां, बेसवान, तिराहीपुर, प्रधानपुर, फिरोजपुर, कोडरा, मिर्जापुर, लखुआं, जेवनिया आदि गांवों में फैल जाता है तथा यहां की कृषि भूमि जलमग्न होने के साथ ही साथ इन सभी गांवों का अस्तित्व भी खतरे में है जोकि कभी भी कटान की वजह से टोंस नदी में विलीन हो सकते हैं।

यही नहीं इन गांवों के किनारे वर्षों पूर्व ठोकर आदि का निर्माण भी कराया गया था परन्तु विगत् 10-12 वर्षो से इन पर कोई भी अनुरक्षण कार्य न किये जाने के कारण यह सभी ठोकरें अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा रसड़ा के टोंस नदी में प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ के गम्भीर संकट को देखते हुये अधूरे रिंग बंधे को पूर्ण कराने के साथ ही साथ पुराने ठोकरों के अनुरक्षण के साथ आवश्यकतानुसार नई ठोकरों का निर्माण किये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत हिम सिटी पार्ट-2 हरदासी खेड़ा मटियारी में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[मान्यवर, हिमसिटी पार्ट-2 हरदासी खेड़ा मटियारी निकट-बाबा हास्पिटल (शहीद भगत सिंह वार्ड) लेन-3 के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग गीता सदन (विनोद वर्मा) मकान नं0-301 सामने की गली श्रीमती सुशीला देवी, श्रीमती सारिका देवी मकान नं0-03 खसरा नं0-209 एवं आश नारायण के घर तक लगभग 300 मीटर सड़क अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। उक्त मार्ग का सी0सी0/इंटरलाकिंग का कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। यहॉ के निवासियों को रोड़ पर आवागमन करने में काफी परेशानी होती है। आये दिन यहॉ कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है, जिससे उनके मन में सरकार के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सम्बन्धित हिमसिटी पार्ट-2 हरदासी खेड़ा मटियारी निकट-बाबा हास्पिटल (शहीद भगत सिंह वार्ड) लेन-3 के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग को सी0सी0/इंटरलाकिंग कराये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में बढ़ती महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में वर्तमान में प्रदेश में बेकाबू होती महंगाई की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर मंहगाई पर से सरकार का नियन्त्रण खत्म हो चुका है। दिन- प्रतिदिन रोजमर्रा के सामान पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद-बीज, बिजली, कृषि यंत्र, कीट नाशक, लोहा, प्लास्टिक, सीमेन्ट, गिट्टी, मौरंग बालू, सरिया, कपड़ा, दवाईयाँ, जूता-चप्पल, गेंहू की पिसाई, धान की कुटाई तेल की पिराई, आटो रिक्सा, टैक्सी, ट्रक, बस का किराया, माल-ढुलाई, शिक्षा शुल्क, कापी-किताबें, इसके अलावा डी0एल0, हैल्मेड, मास्क, पाल्युसन, बीमा व उन पर वसूला जाने वाला जुर्माना, शस्त्र लाईसेन्स व अन्य जरूरी कागजी कार्यो का भी शुल्क बढ़ा दिया गया है, जिससे आम आदमी का जीवन कष्ट में पड़ गया है। जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है और आक्रोशित है, जिससे कभी भी विष्फोटक रूप उत्पन्न हो सकता है। सरकार को इस ओर अविलम्ब ध्यान देना आवश्यक है, जिसके लिए तत्काल पेट्रोलियम उत्पादों पर से प्रदेश सरकार द्वारा टैक्स घटाया जाय व अन्य सामान जो जनता की जरूरत से सीधे जुड़े हैं, उन पर टैक्स घटा कर/आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जमाखोरों के खिलाफ कठोर कार्यवाही कर जनता की अपेक्षा के अनुरूप उचित मूल्य पर सामान की आपूर्ति की जाय।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये दिन प्रतिदिन चीजों के बढ़ रहे दामों को कम कराये जाने की मॉग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-बलिया के अन्तर्गत घाघरा नदी में आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम गोविन्द चौधरी-

[मान्यवर, मेरे गृह जनपद-बलिया तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घाघरा नदी का कटान बहुत तेजी से हो रहा है। हजारों किसानों की फसले एवं खेत नदी कटान में समा गये हैं। घाघरा किनारे बसे दर्जनों गाँव बाढ़ एवं नदी कटान से तबाह हो गये हैं और यहॉ के किसान, मजदूर आदि निवासीगण भुखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं। बांसडीह तह0 के रिगवन, एलातगढ़, ककरघट्टा, सुल्तानपुर, गोड़वली, खादीपुर, पर्वतपुर, सारंगपुर, कोलकला आदि दर्जनों गॉव तथा ब्लाक-मनियर के नौकागॉव, गुड़ौली आदि दर्जनों गाँव जलमग्न हो गये है। ग्राम-महराजपुर स्थिति अत्यन्त ही विकट है पूरा गॉव तबाह हो गया है। बांसडीह में कुछ गॉवों में कटान रोधी कार्य हुए परन्तु वह मानक के अनुरूप न होने के कारण जल में प्रवाहित हो गये। और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी है। कोई पर्याप्त सरकारी राहत उपलब्ध न होने के कारण जनता में आक्रोश है और सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तात्कालिक राहत उपलब्ध कराने तथा फसलों, खेतों, मकानों के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु उचित सहायता राशि उपलब्ध कराने तथा किसानों से कर्ज आदि की वसूली रोकने की मांग करता हूँ।]

जनपद-लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड के अन्तर्गत इंटरलाकिंग का काम कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि फैजुल्लागंज वार्ड स्थित भरत नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ में भाष्कर भवन से म0 नं0 537 भ/ 893 से टिनिटी पब्लिक स्कूल के सामने रोड तक सड़क अत्यन्त खराब हो गयी है गिट्टियाँ उखड़ गई हैं जगह जगह गढ्ढे हो गये हैं, लोगों का चलना दूभर हो गया है। गिट्टियों से मोटरसाईकिल स्लिप हो जाती हैं जिससे लोग घायल हो जाते हैं। कई बार अनुरोध करने के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है जिससे स्थानीय जनता में रोष है तथा सरकार की छबि धूमिल हो रही है। अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त सड़क पर इंटरलॉकिंग या लेपन कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-सहारनपुर के अन्तर्गत सोलानी व खजनावर खोल नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है किमेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुरडीखेड़ा व ग्राम फतेहपुर पेलो दोनों गाँवों के दोनों तरफ सोलानी व खजनावर खोल नदियाँ बहती हैं/बरसात के समय नदियों में पानी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आने के कारण दोनों गाँवों का सम्पर्क तहसील व जिला हेड क्वाटर से कट जाता है जिसके कारण दोनों गाँवों के लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर जनहित में उक्त दोनों नदियों पर पुल निर्माण किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 डी0सी0 वर्मा-

[मान्यवर, मेरे विधानसभा क्षेत्र 119-मीरगंज जनपद बरेली के अंतर्गत ग्राम नरखेड़ा के पास भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है, जिसका आगणन शासन स्तर पर लम्बित है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत अन्तर्गत कतिपय नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[मान्यवर, जनपद पीलीभीत के विधानसभा क्षेत्र 130 बीसलपुर के अंतर्गत नदी दियोहा पर गांव ललौर गुजरानपुर के पास तथा नदी माला पर गांव मकरनपुर रोशन सिंह के पास सेतुओं के आगणन लम्बित है जिनका निर्माण जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा हेतु अनुमति प्रदान करने तथा उक्त दोनों सेतुओं का निर्माण करने की कृपा की जाय।]

जनपद-मथुरा के बल्देव-बरौली कैलाश वाया मनगा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-बल्देव, जनपद-मथुरा में बल्देव-बरौली मार्ग वाया मगना मार्ग प्र0जि0मा0 जनपद-मथुरा में व्यस्तम मार्ग है। उक्त मार्ग पर चौड़ाई कम होने के कारण प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है जिस कारण से इस मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-11, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के द्वारा पत्र संख्या-1428नि0/104-01 नि0/2021-22 दिनांक 17.09.2021 प्रेषित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य योजना अन्तर्गत प्रमुख जिला मार्ग/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत जनपद-मथुरा में बल्देव-बरौली कैलाश वाया मगना मार्ग प्र0जि0मा0 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य किये जाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति देकर धनावंटन किये जाने का निवेदन भी किया गया है इस सम्बन्ध में मेरे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा भी शासन स्तर पर पत्राचार किया जा चुका है परन्तु अभी तक उक्त सम्बन्ध में संतोषजनक कार्यवाही नहीं हो पायी है। अतः जनहित में जनपद-मथुरा के बल्देव-बरौली-कैलाश वाया मगना मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवनों के गृहकर।सम्पत्तिकर में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि देश की रक्षा के लिए सैनिक अपना पूरा जीवन न्यौछावर करते हैं, और अपनी शहादत देकर भी देश की रक्षा करते है। भारत के कई राज्यों हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि की प्रदेश सरकारों ने अपने यहां के पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन को गृहकर से मुक्त किया हुआ है। अतः उ0प्र0 में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवनों को भी गृहकर और सम्पत्तिकर से मुक्त रखे जाने की मांग बहुत समय से लम्बित है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन को उक्त के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद-मेरठ के विधान सभा क्षेत्र किठौर अन्तर्गत कतिपय मार्गों को निर्माण कराये जाने के सम्बंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-किठौर, जनपद-मेरठ के ग्राम राधना में जहीर हसन के मकान से इन्द्रपुरा में पवन भाटी के मकान तक लगभग 1.5 किलो मीटर मार्ग अत्यन्त जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा शासन-प्रशासन स्तर पर अनेकों बार पत्र लिखे जा चुके है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। जनहित में इस मार्ग का मरम्मत कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कारवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-लखनऊ के गऊघाट स्थित पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज बोरा-

[मान्यवर, जनपद लखनऊ में गोमती नदी पर फैजुल्लागंज से गऊघाट आवागमन हेतु पीपे का पुल पिछले तकरीबन 15 वर्षों से उपयोग में लाया जाता है। प्रदेश की राजधानी होते हुए भी लोगों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में जनता को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोमती नदी के गऊ घाट स्थित पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल निर्मित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है किन्तु अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हो पाया है। जनहित में उक्त पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

मैंने स्वयं पिछले साढ़े चार वर्षों में अनेक बार इस विषय पर विभाग और सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट कराया है, किन्तु कार्यवाही अभी तक प्रतीक्षित है। इस कार्य के अब तक न होने से जनता में भारी आक्रोश है, प्रदर्शन हो रहे हैं। आवश्यकता को देखते हुए यह कार्य कब तक हो जायेगा, इसका उत्तर दिया जाना जरुरी है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद लखनऊ में गऊ घाट स्थित पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल तत्काल निर्मित करवाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद-कुशीनगर के हाटा क्षेत्र में विद्युत सम्बन्धी लम्बित कार्यों का निष्पादन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा, जनपद-कुशीनगर में विभिन्न ग्रामों के कई टोले व मजरे में विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना शेष है। इस सम्बन्ध में सौभाग्य योजना, फेज-3 का सर्वे कार्य सरकार द्वारा कराया गया था, किन्तु अभी तक कार्य प्रतीक्षित है।

माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा के तहत हर घर को बिजली देने की योजना को अमली जामा पहनाने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। जनता में असन्तोष व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण कराते हुए जनपद-कुशीनगर में सौभाग्य योजना, फेज-3 सर्वे के अनुसार विभिन्न ग्रामों के टोले व मजरे में विद्युतीकरण कराने की माँग करता हूँ।]

धान/तिल की पराली जलाए जाने के बहाने किसानों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद झ,सी में मोंठ तहसील में किसानों के द्वारा धान की पैदावार की जाती है और गरौठा तहसील में तिल की पैदावार की जाती है। किसानों के द्वारा अपने-अपने खेतों से चारा हटाया जाता है और वह मेड़ पर रख देते हैं। चारे में भी यदि किसी ने आग लगा दी या लग गई तो किसानों के खिलाफ लगातार प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एफ0आई0आर0 दर्ज हो रही है कि आपने पराली जलाई है। जबकि वास्तविकता यह है कि किसानों को रवि फसल के लिये धान की पराली हटाना अति आवश्यक होता है अन्यथा उनकी रबी फसल की तैयारी के लिये खेत तैयार नहीं हो पाता है। किसानों के खिलाफ अभी तक पराली को जलाने को लेकर जो मुकदमा दर्ज किये गये हैं, उन्हें वापस लिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। किसानों को अपने खेतों में पराली जलाने को लेकर जागृत करना चाहिए, समझाना चाहिए न कि उनके खिलाफ तत्काल एफ0आई0आर0 होना चाहिए। पराली को लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। जबकि लगे हुए म0प्र0 के इलाके में किसानों की धान की पराली जलाने पर एफ0आई0आर0 नहीं हो रही है।

अतः नियम-301 के अंतर्गत अविलम्बिनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए धान/उड़द/तिल की पराली जलाने के बहाने में किसानों के उत्पीड़न न करने एवं दर्ज मुकदमें वापस लिये जाने हेतु कारवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-कुशीनगर के नगर पंचायत सेवरही अन्तर्गत रितिक पुत्र परदेशी की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियमन 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर पंचायत सेवरही के वार्ड नम्बर एक अम्बेडकर नगर में वार्ड के निवासी रितिक पुत्र परदेशी उम्र लगभग 15 वर्ष का शव चाकुओं से गोदा हुआ मिला। हत्यारों ने रितिक को चाकुओं से गले सहित पेट पर दर्जनों वार कर निर्मम हत्या कर फरार हो गये।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद-वाराणसी के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[मान्यवर, जनपद वाराणसी के आपर में दिनेश यादव के दुकान से छोटे लाला बरारसी के घर होते हुए राजभर बस्ती तक सडंजे पर आर0सी0सी0 मार्ग बनवाये जाने हेतु कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस प्रकरण पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस मार्ग को आर0सी0सी0 निर्माण अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुरादाबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 फईम इरफान-

[मान्यवर आपको अवगत कराना है कि जिला-मुरादाबाद में चालू वर्ष 2021 में सम्पन्न त्रिस्तरीय पंचायतों के परिसीमन/पुनर्गठन, आरक्षण एवं नामांकन अस्वीकृत करने आदि कार्यों में जिला स्तरीय समिति सदस्यों तथा निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों द्वारा इस हेतु जारी विभिन्न शासनादेशों, उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के कई प्राविधानों का उल्लंघन कर समस्त चुनाव प्रक्रिया को दोषपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने का अपराधिक कृत्य किया गया है। इसे सिद्ध करने जिला मुरादाबाद में वर्ष 2011 में 1000 से अधिक की जनसंख्या का मानक पूर्ण करने वाले 50 से अधिक ग्रामों को नई ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं देना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत स्तर पर विभिन्न जाति वर्गों की जनसंख्या का अवरोही क्रम का प्रकाशन न करना, जिला पंचायत के वार्ड 27 व 28 को बीते पंचायत चुनाव 2015 की भांति पुनः पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित करना, ग्राम पंचायत मुहम्मद इब्राहीमपुर, ब्लॉक-बिलारी की मतदाता सूची में ग्राम पंचायत थांवला के राजस्व रकबे में बसे 300 से अधिक लोगों को शामिल रखना तथा जिला पंचायत मुरादाबाद के वार्ड 27 से वैध जाति प्रमाण पत्र लगाकर नामांकन करने वाली दो महिलाओं के नामांकन अस्वीकृत करना उल्लेखनीय साक्ष्य हैं। इस बारे में तत्समय सुधार कराने तथा दोषी तंत्र के विरुद्ध जांचोपरांत दंडात्मक कार्रवाई हेतु शासन स्तर पर लगातार प्रयास के बावजूद कोई कामयाबी नहीं मिल सकी।

अतः लोकमहत्व या जनहित के उपरोक्त विषय में सरकार से तुरंत संज्ञान लेकर जिला-मुरादाबाद में सन्पन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के परिसीमन/पुनर्गठन, आरक्षण एवं नामांकन अस्वीकृति आदि कार्य में जिला स्तरीय समिति सदस्यों एवं चुनाव में लगे अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कराने संबंधित को उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने हेतु आदेशित करने की मांग करता हूं।]

जनपद-बिजनौर के हल्दौर को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-21, नहटौर, जनपद-बिजनौर के नगर पालिका क्षेत्र हल्दौर में सदर तहसील बिजनौर विधान सभा से अत्यधिक दूरी होने के कारण नागरिकों को अपने कार्य कराने हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के निराकरण हेतु जनहित में जनपद-बिजनौर के हल्दौर में नवीन तहसील की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद अन्तर्गत मखुवापुर की पंचायत चुनाव में की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 हरगोविन्द भार्गव-

[मान्यवर जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-खैराबाद के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मखुआपुर में अभी हाल ही में हुए पंचायत के चुनाव में यहॉ की सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी जिस पर पिछड़ी जाति के उम्मीदवार श्री संतराम राठौर प्रधान पद का चुनाव जीते थे। चुनाव जीतने उपरान्त तत्काल श्री अनिल शर्मा पुत्र स्व0 जगदेव शर्मा, निवासी-ग्राम मखुवापुर, थाना-मानपुर ने जीते हुए प्रधान का बस्ता छीन लिया और स्वयं प्रधानी के सारे काम खुद ही करता है जिससे प्रधान मानसिक रूप से अत्यन्त परेशान है, जब कि अनिल शर्मा एक हिस्ट्रीसीटर है जिसका अपराधिक इतिहास-

1-मु0 अ0 सं0- 153/84 13 जुआ अधिनियम थाना-मानपुर, सीतापुर,

2-मु0 अ0 सं0- 113/86 धारा-395, 397, 307 थाना-मानपुर, सीतापुर,

3-मु0 अ0 सं0- 126/90 धारा-457, 380, 411 थाना-मानपुर, सीतापुर,

4-मु0 अ0 सं0- 74/91 धारा-324, 307 थाना- कमलापुर, सीतापुर,

5-मु0 अ0 सं0- 117/93 धारा 354, 504, 506 थाना-मानपुर, सीतापुर

6-मु0 अ0 सं0- 165/93 धारा-25 (1-बी)- आर्म्स एक्ट थाना-मानपुर, सीतापुर

7-मु0 अ0 सं0- 67/95 धारा-4/10 जी. टी. पी. एक्ट थाना-मानपुर, सीतापुर

8-मु0 अ0 सं0- 80/95 धारा-4/10 जी. टी. पी. एक्ट थाना-मानपुर, सीतापुर

9-मु0 अ0 सं0- 93/99 धारा 323, 324, 504 थाना-मानपुर, सीतापुर

10-मु0 अ0 सं0- 199/01 धारा 506, थाना-कमलापुर, सीतापुर

11-मु0 अ0 सं0- 174/03 धारा 302, 504, 506 व सी0 एल0 ए0 एक्ट थाना-कमलापुर, सीतापुर में अजीवन कारावास की सजा है।

12-मु0 अ0 सं0- 148/03 धारा-25 (1-बी) आर्म्स एक्ट थाना-कमलापुर, सीतापुर में दर्ज है। ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से क्षेत्रीय जनता का भारी भय व्याप्त है, क्षेत्र में अपना भय दिखाकर लोगों को परेशान करता है जिससे जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्कोश व्याप्त है। ऐसे व्यक्ति का समाज में खुलेआम घुमना, किसी भी समय अप्रिय घटना अंजाम दे सकता है। क्षेत्र के लोगों को बहुत खतरा बना हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त अपराधिक व्यक्ति से वर्तमान प्रधान का बस्ता वापस कराते हुए दोषी के विरूद्ध यथाशीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-बदायूँ को विधान सभा क्षेत्र दातागंज में विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह "बब्बू भैय्या"-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-117, दातागंज, जनपद-बदायूं के विद्युत केन्द्र दातागंज, समरेर, उसावा, उसेहत, डहरपुर आदि में कृषि कार्य हेतु विद्युत सप्लाई मात्र 3-5 घंटे की जा रही है जिससे किसानों का भारी नुकसान हो रहा है और किसानों में असंतोष व्याप्त है। इस सम्बन्ध में प्रशासन एवं शासन स्तर पर अनेकों बार कार्यवाही हेतु निवेदन किया जा चुका है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। जनहित में उक्त ग्रामों निर्धारित शैडयूल के अनुसार किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

पुलिस अधीक्षक बहराइच के आवासीय भवन को नये भवन में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

मो0 असलम राईनी "एडवोकेट"-

[मान्यवर आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद-बहराइच में पुलिस अधीक्षक का आवासीय भवन जनपद-बहराइच में बनकर तैयार हो गया है। उक्त जनपद में नये भवन आवास स्थानान्तरित नहीं हो पाया है। आगामी 2022 में विधान सभा के चुनाव निर्धारित है, जिसमें कुछ ही समय शेष है, लेकिन सम्बन्धित अधिकारियों ने उक्त प्रकरण में अभी तक अग्रेतर कार्यवाही नहीं की है, जिसमें करोड़ों रूद्ध देने के बावजूद उच्चाधिकारियों द्वारा सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। उक्त भूमि मालिक के बच्चें आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो जनहित उचित प्रतीत नहीं होता है, जबकि नया भवन बनकर तैयार है, जिसे जानबूझकर स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में यथाशीघ्र जनपद-बहराइच में नव निर्मित पुलिस अधीक्षक भवन को स्थानान्तरण कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूं।]

[11:42 बजे] उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-3 लेते है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, जैसा कि अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मैं चाहूँगा कि दोनों प्रत्याशियों को दो-दो मिनट बोलने के लिए इजाजत दे दें ताकि दोनों प्रत्याशी अपनी-अपनी बात कह सकें, उसके बाद चुनाव हो जायेगा।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

माननीय अध्यक्ष जी, दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

हमको भी बीच-बीच में सुन लिया करिये। हम यह कह रहे हैं कि जो दोनों लोगों के बोलने की बात है।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष, हम अपनी बात कह लें, तब आप अपनी बात कह लीजिएगा। हमको भी सुन लीजिए।

नेता विराधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

किसको ?

श्री अध्यक्ष-

हमको। (हँसी) आप बैठिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप जितनी देर बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूँ कि मैने जो प्रश्न आपके सामने रखा था।

श्री अध्यक्ष-

आप हमारी बात सुनिये। अभी यह बात आई है कि दोनों प्रत्याशियों को 2-2 मिनट या 5-5 मिनट अपनी बात कहने का अवसर दिया जाये। ऐसा वहाँ होता है, जहाँ पर लोग नहीं जानते हैं। यहाँ पर माननीय नरेन्द्र वर्मा जी को और माननीय नितिन जी को पूरा आदरणीय सदन, उनकी अच्छाइयों से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से परिचित है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता है।

(सदस्य, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इन्हें उपाध्यक्ष के प्रत्याशी की हैसियत से सबसे वोट माँगने का अधिकार है। पूरा सदन बैठा है, ये दोनों लोग अपना-अपना वोट माँग लें। पहले तो आप इस पर निर्णय दीजिए, माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने पहले सवाल उठाया था कि यह परम्परा के विरूद्ध काम हो रहा है। संसदीय परम्पराओं पर कलंक लगने जा रहा है, इसीलिए हम लोग काली पट्टी बाँधकर आये हैं और जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इन्होंने चुना था, तो मैंने उसका उदाहरण भी दिया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का ही संज्ञान लिया जाता है और अंतिम चुनाव उपाध्यक्ष का हुआ था जब माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। तब अंतिम चुनाव हुआ था. उसके बाद चुनाव नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा कि परंपरा हमने तोड़ी, यह कह सकते थे कि हमने चुनाव नहीं करायें। आप यह कह सकते थे कि बहुजन समाज पार्टी सरकार में थी तब चुनाव नहीं हुआ, यह चुनाव आप करा रहे हैं, तब कोई पुरानी परंपरा ही नहीं रही। माननीय उपाध्यक्ष के निर्वाचन का आप विरोध करिये और आज होने वाले चुनाव को स्थगित करिये। आप सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलायें और जो परंपरायें हैं, आप विपक्ष के नेताओं से बात करें कि कौन-सा नाम विपक्ष देते हैं, उस नाम का माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करें, निर्विरोध उपाध्यक्ष का चुनाव निःसम्पन्न करायें। मा0 अध्यक्ष जी, यह मेरी आप से प्रार्थना है और मा0 मुख्य मंत्री जी, संसदीय कार्यमंत्री से और इस पूरे सदन में बैठे मा0 सदस्यों से प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष-

सभी चुनाव में होता है कि एक बार अगर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो तो फिर चुनाव बीच में नहीं रूकता।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, इस बहस में मा0 नेता विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं है, इन्होंने वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक अपना कोई सदस्य इस लायक नहीं समझा या चुन नहीं पाये कि जिसे उपाध्यक्ष बना देते। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव नहीं कराया और जब समाज वादी पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने भी चुनाव नहीं कराया, वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 तक परंपरा इन्होंने तोड़ी। परंपरा बनती है और परिवर्तनशील समाज में परंपरायें टूटती हैं और आगे भी परंपरायें बनेंगी और चलेंगी। इस बहस का कोई अंत नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू कीजिए।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 संसदीय कार्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अगर इनको परंपरा का ख्याल था, तो इनका कार्यकाल खत्म होने के 2 महीने पहले ही यह बात क्यों याद आई। मा0 अध्यक्ष जी, इसके विरोध में हम और हमारा दल इस सदन से बहिर्गमन करता है।

(नेता, बहुजन समाज पार्टी अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने यह कहा कि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद स्थगित नहीं होता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में होता है और यह विषम परिस्थिति है। विषम परिस्थिति यह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार उपाध्यक्ष के लिए सर्वसम्मति से बनाना चाहिए था। संसदीय कार्यमंत्री जी 56 इंच कहने से नहीं होता है, इसको दिखलाना पड़ता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर दोबारा फिर यह विपक्ष में आयेंगे तो इनकी बात मान लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या समाजवादी पार्टी के रहते नहीं होने देंगे। यह लोकतंत्र और परंपराओं की हत्या है, पद की गरिमा की हत्या है। यह कोई खेल तमाशा नहीं है, एक उदाहरण बनेगा। मैं वायदा करता हूँ कि अगले चुनाव में हम लोग वहाँ जायेंगे और अपने मित्र संसदीय कार्यमंत्री जी को उपाध्यक्ष बनायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों का जब भीतर-भीतर सब तय है तो हमें चुनाव कराने दीजिये।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आज का दिन विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए तय हुआ है और जो नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं उसमें प्रथम नामांकन पत्र श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी का है और माननीय श्री राकेश प्रताप सिंह जी तथा श्री शैलेन्द्र यादव "ललई" जी उनके प्रस्थापक और समर्थक हैं। माननीय श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी का दूसरा भी नामांकन पत्र है। इसके बाद अगला नामांकन पत्र श्री नितिन अग्रवाल जी का है और श्री आशुतोष टण्डन जी, श्री छत्रपाल सिंह जी, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी तथा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनके प्रस्थापक एवं समर्थक है। नियमावली के नियम-9 के उपनियम में यह व्यवस्था है कि निर्वाचन से पूर्व कोई भी अभ्यर्थी यदि अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वह वापस ले सकता है। तद्नुसार मै दोनों प्रत्याशियों का नाम पुकारूँगा कि वह अपना नाम वापस लेना चाहते है या नहीं।

माननीय श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी, क्या आप अपना नाम वापस लेना चाहते है ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

नहीं।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है कि कल नामांकन दाखिल हुआ, दोनों लोगों ने नामांकन दाखिल किया। उसके बाद पूरे प्रदेश के माननीय सदस्यगण इस असेम्बली में आये हैं, हमारा नाम कहां, किस कमांक पर है, हमें वोट कैसे डालना है, हमें अपने सभी साथियों से वोट मांगना है, क्योंकि अभी चुनाव होना है। इसलिए हमारी विनती आपसे है कि यदि आप उचित समझें तो दोनों प्रत्याशियों को मतदान से पूर्व दो-दो मिनट सुन लें।

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा के उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन आप द्वारा तय किया गया है। इस चुनावी.....

(सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा एवं संसदीय कार्यमंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा अपने स्थान से एकसाथ अपनी बात कहने पर।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसका तो कोई अन्त ही नहीं है। जब उन्होंने कह दिया कि वह अपना नाम वापस नहीं ले रहे हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

चूंकि एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुके है इसलिए अब नियम-9 के उपनियम-5 के अन्तर्गत मतदान कराया जायेगा। माननीय वर्मा जी, आप कृपया बैठ जाइये।

(सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा अपने स्थान से लगातार बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी क्या आप अपना नाम वापस ले रहे हैं ?

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, नहीं।

[11:55 बजे] उपाध्यक पद हेतु शलाका पत्र द्वारा मतदान

श्री अध्यक्ष-

अब जो यह मतदान होगा, यह शलाका के आधार पर होगा। शलाका में दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर संख्या में मत प्राप्त करेंगे तब पर्ची डालकर निश्चित किया जायेगा। नियमों के अन्तर्गत मतदान शलाका द्वारा है, उसके लिए शलाका पत्र तैयार है, मा0 सदस्यों की सुविधा के लिए प्रबन्ध किया गया है कि शलाका पत्र सभा मण्डप में वितरित किये जाएं। माननीय सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र के क्रम में पुकारा जायेगा। शलाका पत्र बूथ पर दिया जायेगा और आप अपना मत अंकित करेंगे। माननीय सदस्य जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहें, उसके नाम के आगे खड़ी पाई का चिह्न लगा दें, यह चिह्न रेखाओं के बीच में नाम के आगे अंकित करना है। अब मैं मतदान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहा हूं, मत पत्र प्राप्त करके हमारे मंच के दाहिने हिस्से में रखें बूथ स्थल पर आकर जिन अभ्यर्थियों को मत देना चाहते हैं।.....

उनके बारे में चिन्हित करेंगे। मेरे बायीं तरफ मतदान पेटिका है, उसमें आप मत-पत्र डालेंगे। मा0 शाही जी को कहीं जाना है, इसलिए वह पहले मत डाल लें।

(सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी द्वारा खड़े होकर लगातार कुछ बोलने का प्रयास करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

अभी 12:00 बज रहा है, 03:00 बजे तक मतदान होगा।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, कल कार्य-मंत्रणा समिति में आपके द्वारा तय किया गया था कि 03:00 घंटे तक मतदान चलेगा। मान्यवर, इसलिए समय स्पष्ट कर दे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी ने समय बता दिया है, आपका ध्यान कहीं और रहा होगा।

श्री अध्यक्ष-

हमने बोल दिया है कि अभी 12:00 बजा है और मतदान 12:00 से 03:00 बजे तक होगा।

(सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी द्वारा खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर।)

नेता विरोध दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी, जो हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा, पूरे सदन से अपील की कि अंतरात्मा की आवाज से हमको सदस्यगण वोट देंगे। श्रीमन्, यह प्रक्रिया सही भी हुई है। श्रीमती इंदिरा गाँधी जी ने अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति चुनवा लिया था। मैं पूरे सदन से और अपने मित्र श्री नितिन अग्रवाल जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि मा0 वर्मा जी आपके भी मित्र है, इसलिए इनको निर्विरोध निर्वाचित करने में सहयोग करें।

श्री अध्यक्ष-

सभी मा0 सदस्य अपनी-अपनी जगह बैठें। हम एक-एक सदस्य का नाम पुकार रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-1, बेहट, श्री नरेश सैनी जी।

कुशीनगर के मा0 सदस्य वोट के लिए पहले आएं। केवल कुशीनगर के मा0 सदस्य आएंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जब अध्यक्ष जी आसन पर है, तो आप लोग बीच में कैसे आ गये ? मा0 अध्यक्ष जी, आपने कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में कहा था कि बैलेट पेपर यहाँ सामने रखा जायेगा। एक तो अनधिकृत प्रत्याशी दिए, दूसरा बूथ कैप्चरिंग करने के लिए बैलेट पेपर वहाँ रखवा दिए हैं।

श्री अध्यक्ष-

कुशीनगर के मा0 सदस्य पहले आ सकते हैं।

(12:35 बजे अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

सभी को अवगत कराना है कि मतदान का समय समाप्त हो गया है इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(माननीय अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

(मतदान के उपरान्त 1:40 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

सभी माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। मतदान सम्पन्न हो गया है अब मैं मतगणना के लिए प्रमुख सचिव, विधान सभा को कहूंगा कि वह मतगणना का कार्य सम्पन्न करायें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कल आपकी अध्यक्षता में कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक हुई थी। उस बैठक में इस बात का निर्णय हुआ था कि बैलेट बॉक्स यहां बीच में रखा जायेगा और माननीय सदस्य सबके सामने बीच में वोट करेंगे लेकिन बैलेट बॉक्स वहां आपके पीछे रख दिया गया और डिप्टी मार्शल साहब परमानेंट वहां देख रहे थे कि कौन किसको वोट दे रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी वोटर नहीं थे लेकिन वह पूरी मतदान प्रक्रिया के समय यहां बैठे रहे यह दबाव बनाने के लिए कि कहीं कोई हमारा वोटर बहक न जाय। ....

श्री राम गोविन्द चौधरी-

चुनाव न तो निष्पक्ष हुआ और न ही गोपनीय हुआ, तो फिर वोट का कौन-सा महत्व है ? आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई और उस बैठक में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी मौजूद थे। स्वयं मा0 प्रमुख सचिव जी ने भी कहा कि वेल में मतदान बॉक्स रखा जायेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इसका मतलब कि सत्ता पक्ष को इस बात का डर था कि अगर यहाँ बैलेट पेपर रख दिया गया और वहाँ मार्शल खड़े नहीं रहे, तो हमारी नैय्या डूब जायेगी। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह चुनाव न तो निष्पक्ष है और न ही गोपनीय है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक शायर ने दो लाइनें कही थी, अगर आपकी अनुमति हो, तो नेता जी को सुना दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो शेर पढ़ने जा रहे हैं, वह आपका है या शायर का है, कि उधार पर ही कहना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

शायर का है।

जिन्दगी में ये हुनर भी सीख लेना चाहिए।
जंग जब अपनों से हो, तो हार जाना चाहिए।।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हँसी के ठहाकों के साथ मेजें थपथपाई)

आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और हम आपका बड़ा लिहाज/सम्मान करते हैं जब आप इस प्रकार हम पर आरोप लगा रहे है, तो हमको तो हार ही जाना चाहिए, हम हार मान लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ये आरोप नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने आरोप नहीं लगाया है। आपकी अध्यक्षता में मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी की उपस्थिति में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मा0 प्रमुख सचिव जी ने संबोधित किया था कि मतदान बॉक्स वेल में रखा जायेगा। इन्होंने उदाहरण दिया कि इसके पहले जब वोटिंग हुई थी, तो बैलेट बॉक्स अध्यक्ष जी के पीछे रखा गया था, लेकिन फिर उसे सुधार दिया गया और यह हुआ कि मतदान बॉक्स सामने वेल में रखा जायेगा और सभी लोग सामने वोट डालेंगे। आपके सामने कार्य-मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था। कार्य-मंत्रणा समिति में आप जो खूंटा गाड़ देते हैं, उसी को हम लोग मान लेते हैं, लेकिन कल वाला वह खूंटा आपने आज उखाड़ दिया।

दूसरा डिप्टी मार्शल साहब वहाँ खड़े होकर सब देख रहे थे और जब मा0 मुख्य मंत्री जी पूरा कंफर्म हो गये कि वोट दिया, तब उठकर वह यहाँ से गये। आपने उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए विशेष सत्र आहूत किया है। एक मा0 सदस्य, जो इस सदन के वोटर नहीं थे, मा0 जल शक्ति मंत्री जी इस सदन के वोटर नहीं थे, अल्प संख्यक कल्याण विभाग के मंत्री, वह हर मंत्री जो इस सदन का वोटर नहीं था, वह भी दबाव बनाने के लिए यहाँ उपस्थित थे। मा0 सदन में मंत्री बैठ सकते थे, लेकिन यह विशेष सत्र था, उनको यहाँ उत्तर नहीं देना था, लेकिन दबाव बनाने के लिए सदन में उपस्थित थे, इसलिए हम लोग इसे अपनी जीत मान रहे है।

इसलिए हम लोग जीत मान रहे हैं कि अपने वोटरों को संभालने के लिए जहां-तहां बैठकर और डिप्टी मार्शल को लगाकर के स्योर किया जा रहा था कि हमारा वोटर हमें वोट दे रहा है या नहीं। मैं आपसे विश्वास पूर्वक कहता हूं कि आप गुप्त मतदान कराइए श्री नरेंद्र वर्मा की जीत पक्की है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि न तो चुनाव निष्पक्ष हुआ है और न ही गोपनीय हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे नेता विरोधी दल किसी भी गलत बात को सही करने का बहुत बढ़ा हुनर रखते है और कल जो बात हुई थी तब मैंने यह कहा था कि वैलेट बोक्स को प्रतिवेदक सीट के पास रखा जा सकता है। लेकिन हम तो आपसे पहले ही कह चुके है कि हारने के बाद भी अपने लोगों को बाधें रखना यह आपमे बहुत बड़ा हुनर है। और जिस अंदाज में आप पेश करते हो ऐसा लगता है कि आप ही सही हैं। हम फिर से दोहरा रहें कि आपसे बढ़िया इस सदन में और कोई भी नहीं बोल सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जब मैने प्रमुख सचिव जी को सुना तब बैलेट बॉक्स यहां था और जब मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने निर्देश दिया तब वह इधर था। और अब न ही यहां रहा और ना ही वहां रहा। ना आपकी मानी गई और ना हमारी मानी

गई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जीत हार की बात नहीं है यह परम्परा को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने प्रत्याशी का नॉमिनेशन कराया था, हम तो जानते थे कि आप बहुमत में है। लेकिन इस सदन की मर्यादा और संविधान की मर्यादा के लिए श्री नरेन्द्र वर्मा चुनाव लड़े। इसमें तो अगर वोट न भी होता तब भी आप जीते हुए थे। लेकिन हमने इस बात को जता दिया है कि अगर लोकतंत्र में और संसद की मर्यादा में किसी को विश्वास है तो वह केवल समाजवादी पार्टी को है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए मुझे इस पर बहुत स्पष्टीकरण नहीं देना है क्योंकि आप स्वयं सहमत है। हमारी बातों से और आपकी बातों से हम प्रायः सहमत होते है। हमने चुनाव की सुचिता की दृष्टि से ही अपनी कुर्सी के दांयी तरफ वोट डालने का प्रबंध किया और बांयी तरफ से निकल जाने का प्रबंध किया और यह प्रबंध मा0 राम गोविंद जी को जरूर आदर्श लगा होगा।

... उधर से निकलें भी नहीं। जहाँ तक मार्शल की बात है, आप हम लोगों में सबसे वरिष्ठ है, मार्शल विधान सभा के अधिकारी/कर्मचारी होते है और उनका वोटिंग में गड़बड़ करना या न करना ऐसा सोचा नहीं जा सकता है।

(समाजवादी पार्टी के किसी सदस्य के द्वारा कुछ कहने पर)

मुझे, राम गोविन्द जी जब यहाँ आये थे तो दिखा रहे थे यह फोटो में भी है अगर आप कहोगे तो फोटो में दिखा देंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वोट डालने के बाद आपके साथ फोटो खिंचवाया है।

श्री अध्यक्ष-

आपके जो तर्क और बयान है वह ठीक है, इससे संसदीय कार्यवाही परिपुष्ट भी होती है। थोड़ा बहुत विभिन्न विषयों की तरफ ध्यान चला जाता है। मुझे विश्वास है कि माननीय खन्ना जी का शेर सुनने के बाद अब आप संतुष्ट हो गये होंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग संतुष्ट थे लेकिन एक गड़बड़ी विशेष हो गयी। आप हमारे अध्यक्ष है और मतदान में पीठासीन अधिकारी बीच में हटकर दूसरी जगह चला जाए और नया पीठासीन अधिकारी आ जाये उस कालखंड में बेईमानी की गुंजाइश पूरी है। क्योंकि आप सदन छोड़कर चले गये थे उस समय बेईमानी हुई। (सदन में हंसी) आपके रहते बेईमानी नहीं हुई लेकिन जिस समय आप सीट छोड़कर चले गये उस समय घोर धांधली की गयी।

श्री अध्यक्ष-

आप उम्मीदवार है तो अभी मतगणना तक अपने दिमाग में रखिये कि आप जीत रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

अध्यक्ष जी, हम हार कर भी जीते हैं। हम नैतिक रूप से जीतेंगे तथा 2022 भी जीतेंगे।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

श्री अध्यक्ष-

मतों की गिनती प्रारम्भ की जाये। दोनों माननीय प्रत्याशियों को मिले वोटों के अलग-अलग बंडल बना लिये जाएँ।

(भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री योगेन्द्र उपाध्याय और समाजवादी पार्टी की तरफ से श्री राकेश प्रताप सिंह मतगणना अभिकर्ता के तौर पर उपस्थित हुए।)

[03:51 बजे] मतगणना के परिणाम एवं निर्वाचित उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष-

अब मैं आज हुयी मतगणना का परिणाम घोषित करने जा रहा हूँ। मतों की गणना अभी आपके सामने हुयी है इसके अनुसार कुल मत 368 डाले गये, वैध मतों की संख्या 364 है, 04 मत अवैध हुये। वैध मतों में मा0 श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा को 60 मत प्राप्त हुये और मा0 सदस्य श्री नितिन अग्रवाल को 304 मत प्राप्त हुये।

(सदन में मेजों की थपथपाहट)

इस गणना के फलस्वरूप मा0 श्री नितिन अग्रवाल निर्वाचित घोषित किये जाते है। मैं मा0 नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 राम गोविन्द जी और अन्य जो दलों के नेता हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह मा0 नितिन अग्रवाल जी को उनके आसन तक लेकर आयें।

(मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 श्री राम गोविन्द चौधरी, मा0 श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 श्रीमती लीना तिवारी व अन्य मा0 सदस्यगण मा0 श्री नितिन अग्रवाल जी को उनके उपाध्यक्ष के आसन तक लेकर गये।)

[03:57 बजे] उपाध्यक्ष निर्वाचन के प्रति आभार

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं मा0 नेता सदन और मा0 नेता विरोधी दल और अन्य सभी दलीय नेताओं का आभारी हूँ कि उन्होंने इस निर्वाचन में हमारा सहयोग किया और जो सदस्य इस प्रक्रिया का किसी न किसी रूप में हिस्सा रहे हैं मैं उनको भी बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और आप यह देख ही रहे हैं कि हम लोग प्रातः काल से बीच-बीच में बहस कर लेते थे उस बहस से मनोरंजन भी हुआ और मार्गदर्शन भी हुआ और नतीजा यह निकला कि मा0 नेता प्रतिपक्ष के वह दायें हाथ जाकर बैठ गये जिनका वह सबेरे से विरोध कर रहे थे।

यही संसदीय जनतंत्र का कमाल है। कई बार लोग एक-दूसरे के प्रति सद्भाव रहित दिखाई पड़ते है लेकिन फिर मिल जाते हैं और यह भारत का जनतंत्र है, इस दृष्टि से सारी

दुनिया का सिरमौर एवं मार्गदर्शक भी है। माननीय श्री नितिन अग्रवाल इस आदरणीय सदन के युवा सदस्य हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधायक है। जनपद हरदोई से सबसे पहले श्री नितिन अग्रवाल वर्ष 2008 के उपचुनाव में, दूसरी बार वर्ष 2012 के निर्वाचन में और तीसरी बार वर्ष 2017 के निर्वाचन में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री नितिन अग्रवाल का जन्म वर्ष 1981 में हुआ और उन्होंने बी0कॉम एवं एम0बी0ए0 की शिक्षा प्राप्त कर रखी है। श्री नितिन अग्रवाल वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक माननीय श्री अखिलेश यादव मंत्रि-मण्डल के सदस्य रहे हैं, मंत्रि-परिषद् में राज्यमंत्री और राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन आदि विभागों के दायित्व का निर्वहन किया है। विधान सभा की लोक लेखा समिति के भी सदस्य रहे है। वर्तमान समय में इस सदन में आप संसदीय अनुश्रवण समिति के सदस्य हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में बहुत काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य उल्लेखनीय है, हरदोई जनपद में बालिकाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए अस्पताल के सहयोग से मेडिकल कैम्प, सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण कराया है, आधुनिक उपकरण स्थापित कराये हैं। विधान सभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से एवं आदरणीय सदन की ओर से श्री नितिन अग्रवाल को बधाई देता हूँ और यह अपेक्षा है कि संसदीय कार्य में उनका यश और प्रतिष्ठा बढ़े। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करना चाहें।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मै श्री नितिन अग्रवाल जी को इस सम्मानित सदन के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने विधान मण्डल दल की ओर से हृदय से बधाई देता हूँ। हम लोग पिछले साढ़े चार वर्षो से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सबसे बड़े विपक्षी दल के द्वारा किसी युवा चेहरे को आगे करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में उनके मनोनयन के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव लाने का प्रयास होगा। लेकिन कोई सकारात्मक रवैया न होने के कारण अंततः जब यह हुआ कि विधान सभा का कार्यकाल अगले छः महीने के अंदर सम्पन्न हो जायेगा, अच्छा है कि हम लोग किसी युवा को यह दायित्व दें और मुझे प्रसन्नता है कि युवा के साथ-साथ अनुभवी सदस्य को आज विधान सभा, उपाध्यक्ष के रूप में यहां पर इस माननीय सदन में चुना है। मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देते हुए श्री नितिन अग्रवाल को हृदय से बधाई देता हूँ। यह संसदीय परम्परा है और मुझे लगता है कि इन सभी परम्पराओं का पालन हम सभी के लिए अपेक्षित भी है। आरोप-प्रत्यारोप यह लोकतंत्र की शोभा है। लेकिन संवाद बाधित नहीं होना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल सज्जन है, संवाद में विश्वास भी रखते हैं।

लेकिन दलीय अंतर्विरोधों को झेलने के लिए अपने अंदर उतनी ताकत नहीं बटोर पाते और यही कारण है कि वह यहां आकर अनायास ही संसदीय कार्यमंत्री से झगड़ पड़ते है, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री जी ने भी शाहजहांपुर का आटा खाया है तो वे भी आपका मुकाबला

उतनी ताकत के साथ करते है। वे कल से ही परेशान है और परेशानी इस बात की उन्हें लग रही थी कि यह प्रस्ताव उनके द्वारा पहले दे दिया गया होता तो अच्छा होता। मै भी इस पूरी कार्यवाही को देख रहा था और मैं जानता था कि वे इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। विधान सभा चुनाव या लोक सभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती है तो ईवीएम को दोषी ठहराते है तो मैं यह मानता था कि आखिर में हमारे नेता विरोधी दल कुछ तो कहेंगे और वही कहा जो कहना चाहिए था। मुझे लगता है कि वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)-

श्रीमन, मास्क को हटा दीजिए। (हंसी)

(श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मास्क हटा दिया)

श्री अध्यक्ष-

आप देखिये, इतनी बड़ी बात आपकी आज्ञा मान गये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, ये उम्र में बड़े है और मैं सही बताऊं तो मुझे इनके स्वास्थ्य की कभी-कभी बहुत चिंता होती है और इसीलिए मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि आपको बलिया की काली गाजर का हलवा जरूर खाना चाहिये। नहीं तो हमारे यहां के जो बलिया के मा0 सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह है उनसे मैं ही कह दूंगा (हंसी)। महोदय बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चुनाव संपन्न हुआ है और मैं देख भी रहा था और स्वाभाविक रूप से दलीय आग्रह और पुराग्रह भी हर एक जगह हावी रहते है और उनको व्यक्त करने का एक माध्यम भी सदन ही होता है, जब आमने-सामने बैठकर दोनों ओर के सदस्य अपनी बातों को कह देते है लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। मैं देख रहा था कि सुबह जितनी तैश में नेता विरोधी दल यहां आए थे लेकिन जब बाद में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो परिणाम उनको मालूम ही था कि परिणाम क्या होने जा रहा है और आगामी विधान सभा चुनाव का परिणाम क्या होने जा रहा है तो वे यहां से सीट छोड़कर चले गये। उनका देखा-देखी मै भी चला गया क्योंकि हो सकता है कि मेरे रहने पर वह शायद खन्ना जी से गुफ्तगू न कर पाये, कोई बातचीत न कर पाये तो मैंने सोचा कि वे अपनी बातचीत कर सकें। लेकिन अब काउंटिंग शुरू हो गयी और उनके द्वारा अधिकृत माद्न सदस्य यहां पर काउंटिंग देख रहे थे और जब उनके द्वारा बताया गया कि परिणाम तो गड़बड़ हो गया तो उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि मतगणना में धांधली हुई है, वह हमेशा की तरह वही सब कहने लगे। ये तो कहिए यहां ईवीएम नहीं था अगर ईवीएम होता तब तो फिर पूछो मत। लेकिन परंपरा और मर्यादाएं इन सबका पालन सभी के लिए आवश्यक भी है। युवा चेहरा आना चाहिए था और मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जी इसको पसंद किये होंगे कि एक युवा और अनुभवी सदस्य ....

पहली बार नहीं है, तीसरी बार यह माननीय विधायक बने हैं और उनके अनुभव का लाभ सदन को प्राप्त होगा और माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन और संरक्षण में पिछले साढ़े चार वर्षो के दौरान सदन ने कई कीर्तिमान स्थापित किए है और हम लोगों ने इनसे संवाद बनाने का हमेशा प्रयास किया। माननीय नेता विरोधी दल इस बात को जानते होंगे कि कोरोना के कालखण्ड में भी हम लोगों ने दलीय नेताओं की बैठक की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तब भी उस बैठक का बहिष्कार किया था।

हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेण्ट गोल्स को प्राप्त करने के लिए, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भारत सरकार ने यू0एन0ए0 2016 में और उसके उपरान्त भारत सरकार ने पूरे देश के लिए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिसमें गरीबी के उन्मूलन का है, स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा के लिए है, रोजगार के लिए है और अन्य उन सभी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, पूरे देश के लिए जब टॉरगेट फिक्स किए गए हैं, इस सदन ने 36 घण्टे तक उस पर चर्चा की थी। हम सब जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में एक विशेष सत्र आहूत किया गया था, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने सदन का बहिष्कार किया था और पूरे उस विशेष सत्र का ही बहिष्कार किया था क्योंकि वह गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित था, नौजवानों के रोजगार से सम्बन्धित था, बेहतर स्वास्थ्य के लिए था, गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए था, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए था। लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना-देना है नहीं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया था। तो संवाद की परम्परा तो हम लोगों ने हमेशा डाली है, हमेशा बनाने का प्रयास किया है लेकिन उस संवाद को बाधित करने का कार्य हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। यह कहने में कोई गुरेज मुझे आज यहाँ पर नहीं है और मुझे एक बार फिर से यही कहना है कि हम अपने संवाद की इस ताकत को हमेशा बनाये रखने का कार्य करेंगे। श्री नितिन अग्रवाल जी के निर्वाचित होने पर हम सब प्रसन्न है, प्रफुल्लित है और श्री नितिन अग्रवाल, तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के ही सदस्य हैं तो सबसे बड़े दल के सदस्य को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए था, यह काम भी उस संसदीय परम्परा का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल ने सदन में यहाँ पर यह भी किया है, युवा भी हैं। तो समाजवादी पार्टी के कई चेहरे सामने आ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी युवा विरोधी है, समाजवादी पार्टी अपने ही सदस्यों को नहीं पचा पाती है, अन्तर्विरोध है, क्योंकि अन्तर यही है, कुछ लोगों के लिए परिवार ही पार्टी होती है लेकिन हमारे लिए प्रदेश ही एक परिवार है। यह जो अन्तर है, इस अन्तर ने ही आज यहाँ पर इस निर्वाचन के लिए बाध्य किया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, सभी युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमने अभी 07 मंत्री बनाये हैं, आपने देखा है, सब युवा चेहरे हैं और वे सभी युवा चेहरे बनाये गए हैं जो समाज में अलग-अलग तबके को प्रतिनिधित्व भी करते हैं, लेकिन साथ-साथ युवा भी हैं और उन सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया है और हमारी सरकार उन्हीं मूल्यों, उन्हीं आदर्शों के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है।

आज के इस अवसर पर मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी अपने उस परिवारवादी मंसूबे से थोड़ा अब उठ करके व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचने का कार्य करेगी तो मुझे लगता है कि वह इस दल के हित में होगा, अन्यथा जो फैसला होने वाला है, आज इस निर्वाचन से साबित हो चुका है। ....

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारी संवेदना है, वह अच्छे सदस्य है, समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी बात को दमदार तरीके से इस सदन में रखते हैं, संसदीय परम्पराओं का पालन करते हैं लेकिन अगर यह नाम चार साल पहले तीन साल पहले समाजवादी पार्टी ने सदन के सामने रखा होता तो मुझे लगता है कि आज जो धोखा आप लोगों ने नरेन्द्र सिंह वर्मा जी के साथ किया है, यह धोखा उनके साथ सम्भवतः नहीं होता। **(सत्ता पक्ष से मेजों की थपथपाहट)** मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप लोगों ने धोखा किया है और कम से कम मुझे आपसे तो उम्मीद नहीं थी। मैं मानता था कि नेता तो अपने क्रान्तिकारी तेवर दिखा प्रतिपक्ष के रूप में आप बलिया की धरती से करके तीन साल पहले, चार साल पहले अपनी पार्टी के अन्तर्विरोधों को दूर करके कोई अच्छा नाम सामने लाते और हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि एक अच्छा समन्वय होना चाहिए। लेकिन आप लोग विफल रहे, आप अपने सदस्यों को भी नहीं पहचान पाए, आप अपने सदस्य को ही धोखा देना चाहते थे, परिणाम क्या होने जा रहे है, यह जानते हुए भी आप उनको जबरदस्ती चुनाव में ढकेल करके उनके समय को भी खराब कर रहे थे, उनकी ऊर्जा को भी वेस्ट कर रहे थे क्योंकि जितना भाषण उन्होंने सुबह यहाँ पर दिया था, अगर इतना भाषण वह अपने विधान सभा क्षेत्र में देते तो हो सकता था कि पब्लिक के दिमाग में कुछ चीजें सामने आती कि हाँ कुछ किया है विधायक जी ने। तो दोनों काम आपके द्वारा नहीं हो पा रहे थे। धोखा देना था तो धोखा देने की प्रवृत्ति है। इसलिए आज यह हुआ हैं। लेकिन हमारी पूरी संवेदना उनके साथ में है और वह समाजवादी मूल्यों के साथ अपना जीवन यापन करें।

श्री नितिन अग्रवाल जिस परम्परा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वह मजबूती के साथ आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल पूरी तरह से उनके साथ में है, उनका सहयोग करेगी और महोदय, इस सदन की उच्च मर्यादा का पालन करते हुए, उन परम्पराओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी लोग मिल करके कार्य करेंगे। आपके मार्ग दर्शन में, आपके संरक्षण में देश के सबसे बड़े विधान मण्डल ने विगत साढ़े चार वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य किया है। हर एक फील्ड में कुछ नया देखने को मिला है, चाहे वह गरीब कल्याण के लिए हो, युवाओं के कल्याण के लिए हो, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हो, किसानों के उत्थान और उनके उन्नयन के लिए हो। प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के माध्यम से देश के सामने उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे अच्छे गन्तव्य के रूप में स्थापित करने का हो या फिर प्रदेश के बारे में जो एक धारणा थी देश और दुनिया की, उस धारणा को बदलने का रहा हो, विगत साढ़े चार वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सभी कार्य हुए हैं और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने मिल

करके, उसमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी थे, विपक्ष के सदस्य भी थे, सभी ने मिल करके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के बारे में देश की धारणा बदली है। अब लोग उत्तर प्रदेश के बारे में एक अच्छी धारणा के साथ सोचने लगे है कि हाँ, उत्तर प्रदेश देश का एक ग्रोथ इंजन बनने का सामर्थ्य रखता है। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था के रूप में उभरने का माद्दा रखता है, उत्तर प्रदेश जो कुछ भी करेगा वह भारत की अर्थ व्यवस्था को एक नई ऊँचाईयों तक आगे ले जाने में काफी मददगार हो सकता है। इस परसेप्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस युवा ऊर्जा को आगे और ज्यादा ताकत दिए जाने की आवश्यकता है।

आज यहाँ पर श्री नितिन अग्रवाल का विधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन इस बात को साबित करता है।

मैं एक बार फिर से अपने विधान मण्डल दल की ओर से श्री नितिन अग्रवाल जी के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर वह भी भारी मतों से, 304 मत उन्हें प्राप्त हुये है। 304 मतों से भारी बहुमत से उनके निर्वाचित होने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, उन्हें शुभकामनायें देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में वे सदन की उच्च मर्यादा और परम्परा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी के प्रति भी मेरी हृदय से अपनी संवेदनायें हैं, उनके प्रति सहानुभूति भी है और शुभकामनायें भी है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रतिनिधि तो बनाया लेकिन पूरे विपक्ष को भी वह एकजुट नहीं कर पाये। अच्छा होता कि आपस में एक संवाद बनाकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते लेकिन वक्त सबको समझा देता है, वर्ष 2022 का चुनाव और अच्छे ढंग से इसको समझाने का कार्य करेगा। आज का परिणाम इस बात को साबित करता है। मेरा इस सदन के सभी सदस्यों से कहना है कि पिछले कल से आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में और उत्तर भारत के एक बड़े भू-भाग में आँधी, पानी चल रहा है इस सबके बावजूद आप यहाँ पर आये है। उन सभी माननीय सदस्यों का चाहे वह सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सभी ने इस निर्वाचन में शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण तरीके से सदन की मर्यादा के अनुरूप यहाँ पर व्यवहार करते हुए निर्वाचन में प्रतिभाग किया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और दीपावली की मंगलमय शुभकामनायें आप सब के प्रति व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

(मेजें की थपथपाहट)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सामने तो बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो गई, जो सवेरे मैंने आपसे आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश का संसदीय इतिहास जब लिखा जायेगा तो आज का दिन सबसे काला दिन होगा। इस सदन में भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह कह दिया कि सर्वसम्मत होता लेकिन इन लोगों ने नाम नहीं दिया। हमारा कहना है कि साहब आप नेता सदन है, इस प्रदेश के प्रति आपको तो कम-से-कम असत्य नहीं बोलना चाहिए। चाहे आप

मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 नेता सदन जी, चाहे मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, चाहे मा0 अध्यक्ष जी किसी ने कभी भी विपक्ष से लिखित और न ही मौखिक नहीं कहा है कि उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, जबकि विपक्ष ने कई बार माँग भी की थी। अब जैसे-जैसे समय नजदीक आ रहा है और चुनाव नजदीक आ रहा है अब काहे को कड़वाहट पैदा की जाये लेकिन यह संसदीय परम्पराओं का अपमान है। मैं किसको बधाई दूँ, कौन अध्यक्ष चुना गया ? आज तक सदन की यह परम्परायें रही हैं कि चाहे मा0 अध्यक्ष जी का चुनाव हो, चाहे मा0 उपाध्यक्ष जी का चुनाव हो तो मा0 नेता सदन, नेता विरोधी दल और दल के नेता मा0 अध्यक्ष जी ढूढ़कर ले जाते थे और कुर्सी पर बैठाते थे उसके बाद जब मा0 अध्यक्ष जी, कुर्सी पर विराजमान हो जाते है तो मा0 नेता सदन बधाई संदेश देते है, नेता विरोधी दल संदेश देते है और दल के अन्य नेता उसके बाद बधाई संदेश देते हैं। तो इस तरह से मा0 उपाध्यक्ष के चुनाव में तो मर्यादाओं का हनन हुआ ही है, संसदीय परम्पराओं को तोड़ा ही गया है, बधाई संदेश में भी वही हुआ है। हम आपको बधाई दें या किसको बधाई दें क्योंकि कुर्सी पर तो आप हैं, उपाध्यक्ष जी तो यहाँ बैठे हैं। इनको हमको और आपको वहाँ ले जाना चाहिए था, आप खड़े होकर इनको सम्मानित जगह पर ले जाकर बैठाते, आप वहाँ से अपने कमरे में चले जाते मा0 उपाध्यक्ष जी आसन पर बैठते और तब इनको बधाई संदेश दिया जाता। यह भी परम्परा तोड़ दी है मा0 मुख्य मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और जो भी परम्परा इन लोगों ने कायम की उसके अनुसार आज के निर्वाचित माननीय उपाध्यक्ष जो हमारे प्रिय मित्र के सुपुत्र है, मैं इनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं और सम्मान करता हूं। मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि यह संसदीय परम्पराओं के अनुसार सदन को संचालित करेंगे। जब सदन में बजट पेश हुआ था तब मैंने यह कहा था कि यह बजट लो-ला है। माननीय उपाध्यक्ष जी जब आज आपको यहां पर बैठा दिया गया, वहां नहीं बैठाया गया तो हमको नहीं लगता कि आप कभी ऊपर बैठ पायेंगे क्योंकि, अब तो सदन एक दिन होगा तो वह इतना महत्वपूर्ण रहेगा कि माननीय अध्यक्ष जी का उस दिन बैठना अनिवार्य रहेगा। ये तो आपके लिए केवल लो-ला है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने बहुत भाषण दिया है लेकिन आज भाषण का दिन नहीं है आज केवल बधाई संदेश देने का दिन है लेकिन अब उनको लगता है कि अगर वह भाषण नहीं देंगे तो उनका अपमान हो जायेगा। आज तो न उपलब्धि बताने का दिन है, न अपना काम बताने का दिन है, आज केवल माननीय उपाध्यक्ष जी को बधाई देने का दिन है। माननीय अध्यक्ष जी, जो काम मा0 वित्त मंत्री जी ने गिनाया है वह तो जनता देख ही रही है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे उपाध्यक्ष जी नौजवान है लेकिन इस देश में नौजवानों का आइकॉन एक आदमी है, वह है माननीय अखिलेश यादव जी। पूरे देश में हर जाति, धर्म का नौजवान माननीय अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। जो प्रक्रियायें और जो काम आपने किये हैं उनको जनता पसन्द नहीं कर रही है। कोई काम किया ही नहीं केवल काम गिनाते रहे। आपने बड़े जोर से कहा कि हमनें इतने वोटों से चुनाव जीता है। अध्यक्ष जी, हम थे 49 और वोट पाये हमनें 60 तो जीत इधर की हुई या उधर की ? कुछ भी हो हम जितनी संचित संख्या में है

उससे हमारी वोटों की संख्या बढ़ी है और यही संकेत है कि 2022 के चुनाव में हमारी संख्या बढ़ेगी हम वहाँ जा करके बैठेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सत्र के विषय में लिख करके कुछ नहीं आया था कि किस विषय पर सत्र बुलाया जा रहा है, केवल विशेष सत्र के लिए लिखकर आया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि विशेष सत्र, काहे का विशेष सत्र ? या तो इस सत्र को कल-परसों तक बढ़ाइये या पुनः एक विशेष सत्र बुलाइये जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के अमन पर और महंगाई पर चर्चा हो जिसमें सदन के सारे सदस्य हिस्सा लेंगे। लेकिन ये आप करेंगे नहीं क्योंकि आपने साढ़े 4 साल-पौने 5 साल में कुछ किया ही नहीं है। विशेष सत्र बुलाइये और उस पर 24 घण्टा, 36 घण्टा, 48 घण्टा जितना भी आप चाहें सदन चलवाइये हम लोग तैयार हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं मुख्य मंत्री जी की बड़ी इज्जत करता हूं लेकिन वह हम पर धीरे-धीरे कटाक्ष करते हैं और हंसते भी रहते है। मैं कटाक्ष इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं उनको मानता हूं, वह संत हैं, मठ के पीठाधीश्वर है। देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं और सत्य से कहीं इनका लगाव है ही नहीं। अब उपाध्यक्ष जी आ गए है। मैं जब गाँव से शहर बलिया में पढ़ने आया तो उस समय एक नया सिनेमा हाल, शीशमहल बना था और उसमें आरजू पिक्चर लगी थी। उपाध्यक्ष जी, आरजू पिक्चर का पहला गाना था, "अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइयेगा, हमें पाइयेगा।" (सदन में हँसी) आप गये तो उधर और उन्होंने आपको भेज दिया इधर। इसीलिए ऊपर बैठा करके आपको धन्यवाद नहीं दिया गया। आपको यहाँ बैठाकर धन्यवाद दिया गया।

मैं पुनः पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिन भी लोगों ने उनको वोट दिया है, मैं नरेन्द्र वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ, जो इस प्रदेश के कुर्मियों के सबसे बड़े नेता है, किसान नेता है। इन्होंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत ही नहीं, संसदीय परम्पराओं के अनुसार नेता विपक्ष के कैंडिडेट को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, सबसे पहले हमने इनका नॉमिनेशन भी कराया कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को समझ जायेंगे कि इनका नॉमिनेशन हो गया तो चुप। लेकिन इनको तो उपाध्यक्ष जी को अपमानित करना था। ले आये, मंत्री नहीं बनाये, कैबिनेट मंत्री बनाये होते, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। जब सदन खत्म हो रहा है तो लोला। (सदन में हँसी) महाराज, जो कुछ भी मिला है, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और आपकी अध्यक्षता में अगर सदन चले तो मैं जरूर विश्वास करता हूँ कि बिल्कुल निष्पक्षता से पक्ष और विपक्ष का भेद-भाव भुला करके आप सदन का संचालन करेंगे, हालाँकि यह नौबत आये कि न आये, भगवान ही मालिक है। मैं पूरे सदन के माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर सभी लोग माननीय उपाध्यक्ष के निर्वाचन में सम्मिलित हुए। माननीय नरेन्द्र वर्मा जी को जिन लोगों ने वोट दिया है, हमारी पार्टी के अलावा, उनको हृदय की गहराइयों से मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः मुख्य मंत्री जी को, संसदीय कार्यमंत्री जी को, परम्पराओं को तोड़ने, नई परम्परायें डालने और उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद भी परम्पराओं को तोड़ने का रिकार्ड कायम करने के लिए मैं

पुनः मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ। संसदीय कार्यमंत्री को भी बधाई देता हूँ। उपाध्यक्ष जी, अगर किसी बात से आपको कष्ट हुआ हो तो मुझे उसके लिए खेद है। मैं हँसी में ऐसी बात कर रहा था। आप योग्य आदमी हैं, योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और मैं जानता हूँ कि आप माननीय अध्यक्ष जी का बहुत सहयोग करेंगे। इन्ही शब्दों के साथ मै पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद।

(बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता पुकारे गए लेकिन वह अनुपस्थित थे)

श्रीमती लीना तिवारी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस वक्त सदन में हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति में, आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री जी की उपस्थिति में, आदरणीय समस्त मंत्रीगण की उपस्थिति में और आदरणीय नेता विरोधी दल की उपस्थिति में, समस्त सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में आज जो उपाध्यक्ष का निर्वाचन यहाँ संपन्न हुआ है, मैं निर्वाचित हुए श्री नितिन अग्रवाल जी को अपनी पार्टी अपना दल (एस) की तरफ से और अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती बहन अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और उनका अभिनन्दन एवं स्वागत करती हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में हमें, इस सदन को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और मुझे आशा है कि वह इस सदन की गरिमा को बनाये रखते हुए हम सबका मार्ग दर्शन करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हद मत कर दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बधाई दे दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय दलीय नेता धन्यवाद प्रस्ताव करते हैं।.....

मा0 मुख्य मंत्री जी ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने परंपरा को तोड़ने के लिए हमको बधाई दी। यह परंपरा हमने स्थापित की है क्योंकि इस विधानसभा में बिना उपाध्यक्ष के विधानसभा समाप्त हुई जा रही थी। हमने परंपरा को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए स्थापित किया और उपाध्यक्ष बनवाया। इसके लिए हमको आपको बधाई देना चाहिए। विपक्ष में लोगों की संख्या-78 है। जिसमें 49 समाज वादी पार्टी, 18 बहुजन समाज पार्टी, 04 सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के और 07 कांग्रेस के

है। सम्पूर्ण विपक्ष को एक रखने की जिम्मेदारी आपकी थी। आपको वोट मिलना चाहिए था 78 और आपको मिले 49 वोट। हम आपसे वायदा करते हैं कि अबकी बार जब आप विपक्ष के सदस्य बनेंगे तब हम आपसे पूछ कर उपाध्यक्ष बनवायेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यह तो वह बात हो गई कि मैंने चोरी इसलिए किया कि मैं तो भूखा था। मैने नेता विरोधी दल की हैसियत से व सदन के मित्र की हैसियत से चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो समाजवादी पार्टी ने वोट किसी से नहीं मांगा। मैंने न तो बहुजन समाज पार्टी से कहा की वोट दीजिए न हमने कांग्रेस पार्टी से कहा कि हमको वोट दीजिए न हमने अपना दल से कहा कि हमको वोट दीजिए। कई हमारे मित्र है भारतीय जनता पार्टी में मैंने किसी से नहीं कहा। हम तो परिणाम जानते थे, लेकिन हम संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहते थे। हमको तो आपकी नियत का पर्दा फाश करना था और हमने किया। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं पुनः उपाध्यक्ष जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, चुनाव का परिणाम आ गया, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि इनको 49 वोट मिले, बिल्कुल लिखा पढ़ी में कहा कि हमारे 49 वोट थे, लेकिन टेक्निकली हमारे पास 46 वोट हैं। आपके पास तो 321 वोट है, फिर आपको मिले 304 वोट। आपके तमाम लोग वोट डालने नहीं आये इस उम्मीद के साथ कि भाजपा की सरकार जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। जो लोग आये उनमें कुछ लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है क्योंकि बसपा ने वाकआउट किया और कांग्रेस ने भी वाकआउट किया, तो हमें वोट कहां से मिले, वोट तो अन्तर आत्मा की आवाज पर आपके दल के लोगों ने मुझे दिया और मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, हम बधाई तो दे लें। मान्यवर, इस मतदान में माननीय मुख्य मंत्री जी सशंकित थे क्योंकि पूरा दिन वह सिंचाई मंत्री जी, अल्पसंख्यक मंत्री जी और सभी लगे रहे। इस मतदान में बैठे रहे, अगर सशंकित न होते तो शायद मतदान के समय वह यहां पर न बैठते, टेक्निकली वह बैठ सकते थे लेकिन वह इस सदन के वोटर नहीं है। उनको इस बात की शंका थी कि उनके सदस्य क्रासवोट करेंगे इसीलिए वह यहाँ पर रहे, इसीलिए बैलेटबॉक्स वहां रखा गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, ये बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मैं बधाई देता हूं। निश्चित तौर पर संसदीय परम्पराओं के अनुरूप आप हमारे अध्यक्ष है, हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारे उपाध्यक्ष हैं उन पर भी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पीठ पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। यहां पर नेता सदन, संसदीय कार्यमंत्री, डिप्टी स्पीकर और विधान परिषद् में जो हमारे सभापति जी है तथा जो नेता सदन भारतीय जनता पार्टी के है अगर इनमें से कोई एक पिछड़े वर्ग का होता, कोई एक दलित वर्ग का होता, एक पद पर अल्पसंख्यक की भागीदारी होती तो निश्चित तौर पर आज यह गुलदस्ता के रूप में काम करता। आपका "सबका साथ सबका विकास" का नारा खोखला है आपको वोट सबका लेना है और विकास कुछ लोगों का करना है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं लेकिन यह एक जमीनी हकीकत है कि अध्यक्ष, विधान सभा, नेता सदन, डिप्टी स्पीकर, सभापति विधान परिषद् और नेता विधान परिषद् में अगर कोई पिछड़े परिवार का होता, दलित परिवार का होता, अल्पसंख्यक परिवार का होता तो सबका साथ सबका विकास दिखता। लेकिन न यहां किसानों की भागीदारी है और न ही शोषित-वंचित लोगों की भागीदारी है जबकि यह भागीदारी मिलनी चाहिए थी। मैं अपनी ओर से अपने छोटे भाई श्री नितिन अग्रवाल जी को जो सीनियर एम0एल0ए0 हैं, धन्यवाद देता हूं। मेरी शुभकामनाएं है कि उनका राजनैतिक जीवन आगे बढ़े और अगर आप मौका देंगे तो संसदीय परम्पराओं के अनुसार निश्चित तौर पर वह विधान सभा का संचालन करेंगे। मैं सभी विधायकों को अपनी ओर से और पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमें वोट दिया वह भी हमारे भाई है और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, वह भी हमारे भाई हैं। यह लोकतन्त्र है, लोकतन्त्र फलता-फूलता रहे, लोकतन्त्र की परम्पराओं पर हम आगे बढ़ते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई नितिन अग्रवाल जी को जो हमारे उपाध्यक्ष है, बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष माननीय नितिन जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने विचार सदन में प्रस्तुत करें।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय नेता सदन प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी साहब, आदरणीय नेता अपना दल और यहां बैठे हुए सभी माननीय सदस्यगण, मैं सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उपाध्यक्ष पद के चुनाव में मेरा समर्थन किया है। मैं साथ ही साथ उन सदस्यों को भी धन्यवाद दूंगा जो मेरा समर्थन करना चाहते थे लेकिन हो सकता है कि पार्टी के दबाव के कारण वह मेरे साथ नहीं खड़े हो पाये। मैं अपनी तरफ से आदरणीय मुख्य मंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद् देना चाहता हूं जिनका

विशेष आशीर्वाद इस पद पर मुझे लाने के लिए रहा है। चूंकि यह संवैधानिक पद है और आज मैं इस पद पर आसीन हुआ हूं।

मैं भी वर्ष 2008 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश की विधान सभा में आया था तो नया सदस्य था, बहुत नियमों की जानकारी मुझे नहीं थी, उसके बाद धीरे-धीरे मैंने देखा कि नियमों में किस तरह से सवालों को उठाया जाता है। यह लोकतन्त्र का मन्दिर है, हम सब 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को लेकर यहाँ पर आते है, कैसे किन नियमों में हमें अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना है, किन नियमों में अपनी बात को कहना है, यह सब मुझे धीरे-धीरे सीखने का मौका मिला। जो मेरे वरिष्ठ सदस्य है, जो मेरे साथ तब से अभी तक सदन के सदस्य है, उनसे सीखने को मिला है। उस आसन पर आपसे पहले जो आदरणीय अध्यक्ष रहे हैं, उनसे भी सीखने को मिला है। मैने धीरे-धीरे सीखा-समझा कि कहा जाता है ? अपने क्षेत्र तथा प्रदेश की जनता की समस्याओं को कैसे सदन में लाकर रखा जाता है ? अगर मुझे मौका मिलेगा, तो इतने वर्षों में जो मैने सीखा है, उन नियमों में सदन को चलाने का काम करूंगा, लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, तो मेरे वरिष्ठ सदस्य उसे अंकित करने का काम जरूर करें। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा कि सदन के सभी सदस्यों को साथ में लेकर चलूँ। सदन की चलने की जो परंपरा है, उन परंपराओं को निर्वहन करते हुए सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाऊँ।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आज इस मौके पर यह जरूर कहूँगा, हलाँकि मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वह बातें यहाँ पर आयीं थी और रिकार्ड में भी है, इसलिए मै उन बातों की ओर इंगित करना चाहता हूँ। यह संवैधानिक पद है और मैं समझता हूँ कि संवैधानिक पद को जाति के आधार पर नहीं जोड़ना चाहिए।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजे थपथपाई।)

आज यहाँ पर ऐसी कुछ बातें आई है, मुझे मजबूरी में नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये रिकार्ड में है, सदन की प्रापर्टी हो गई है। जब आपने डिक्लियर किया था कि चुनाव की शुरूआत हो, उस वक्त हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने एक समाज का नाम लेकर यहाँ कहा कि उस समाज के हमारे साथी को यहाँ प्रत्याशी बनाया है, तो मैं समझता हूँ कि यह उचित बात नहीं है, क्योंकि यह संवैधानिक पद है और संविधान के पद को जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जातिवाद के आधार पर नहीं, अब प्रदेश में राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति करनी चाहिए।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई।)

आप राष्ट्रवाद की बात क्यों नहीं करते। प्रदेश की जनता ने जातिवाद के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों को सत्ता से हटाया है और एक संदेश दिया है कि अब जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि राष्ट्रवाद की राजनीति करके अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कम से कम यह संदेश जरूर दें। हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो,

हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, हमारा राष्ट्र कैसे विश्व के उन मजबूत लोकतंत्र को, मैं कहता हूँ कि पूरे विश्व में अगर सबसे मजबूत लोकतंत्र कहीं है तो हमारे भारत का है, हमारे देश का है और इसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए। इस लोकतांत्रिक देश को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मजबूत करें, हमें इसके लिए चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए।

आखिरी में मैं यह जरूर कहूँगा कि मैं तो प्रभु श्री राम से यह प्रार्थना करता हूँ कि अब हम लोगों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। अब हम लोग 17वीं विधान सभा के अंतिम दौर में हैं, लेकिन प्रभु श्री राम से यह प्रार्थना है कि हम जैसे यहाँ 17वीं विधान सभा में बैठे हैं, जो-जो यहाँ जीत कर जैसे आया है, वैसे ही वह 18वीं विधान सभा में जीतकर आए, जिससे हम इन परंपराओं को आगे बढ़ाएं। इन लोकतांत्रिक परंपराओं को और मजबूत करें।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई।)

मैं अपने आदरणीय मुख्य मंत्री जी का, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का, अपने सभी मा0 सदस्यों का, चाहें वह पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, उनके समर्थन की उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि उनका समर्थन मुझे मिलेगा। सदन की कार्यवाही जब भी आगे चलेगी, उनका समर्थन जैसा अब मिल रहा है, वैसे आगे भी मिलता रहेगा। मैं आप सबका बहुत-बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।

[04:44 बजे] उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा के प्रथम एवं द्वितीय सत्र 2021 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 2021 (दिनांक 18 फरवरी, 2021 से दिनांक 04 मार्च, 2021 तक) एवं विधान सभा के द्वितीय सत्र 2021 (दिनांक 17 अगस्त, 2021 से दिनांक 21 अगस्त, 2021 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14 (3) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

[04:45 बजे] उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी कर यथा समय संदाय) (संशोधन) अध्यादेश, 2021

श्री अध्यक्ष-

मद स0 7 श्रम मंत्री।

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, इसमें हमें कुछ अनुमोदन करना है।

श्री अध्यक्ष-

अभी जब इसका विधेयक आयेगा तब इस पर बात करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप उचित समझें तो अभी दो-तीन मदें बाकी है। इस बीच चाहें तो उपाध्यक्ष जी को आसन ग्रहण करा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)-

देखिये यह बहुत गलत बात है, यह पहले ही होना चाहिए था, अब अगले सदन में बैठाइयेगा, यह परंपरा रही है कि हमेशा मा0 उपाध्यक्ष जी को बधाई ऊपर सीट पर ही दी जाती है। आप कितने रिकार्ड तोड़ेंगे, आप एकदम लीप पोत कर सब कुछ खत्म कर दीजिए। यह अध्यक्ष जी का अपमान है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता प्रतिपक्ष अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा यह आशय नहीं था, मैंने तो आपसे यह कहा था कि अगर आप उचित समझें तो उपाध्यक्ष जी को सीट पर बैठा दिया जाए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं इन लोगों को तो बस इश्यू बनाना होता है।

श्री अध्यक्ष-

इस तरह से यह एक अप्रिय प्रसंग आया है। मैं तो पहले ही सोच रहा था कि ऐसा किया जाए। अब में अगली मद ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनांक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध

(सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण

तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 18 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनाँक 01 मार्च, 2021 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना संशोधन के दिनाँक 20 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का सोलहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 19 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 19 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का बीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश (तृतीय) निरसन विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवॉ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग(2021-2022 का अनुपूरक) विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 19 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनाँक 19 अगस्त, 2021 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिँनक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का बाइसवॉ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का तेइसवॉ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) (निरसन) विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवॉ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां, अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) (संशोधन) विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवॉ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाइसवॉ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 18 अगस्त, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 19 अगस्त, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनाँक 24 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवाँ अधिनियम बन गया।

कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनाँक 09 अगस्त, 2021 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2021 का उत्तर प्रदेश का तीसवॉ अधिनियम बन गया।

(04 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

(माननीय उपाध्यक्ष के आसन पर आसीन होने पर सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

[04:54] कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 अक्टूबर, 2021 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ले ली जाय।

2-उपाध्यक्ष का निर्वाचन।

3-नियम-301 एवं नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ली जाय।

4-नियम-56, नियम-300 एवं नियम-311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जाय।

तद्नुसार दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

1- निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2- उपाध्यक्ष का निर्वाचन

3-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि यदि कोई हो।

4-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

संसदीय कार्य, वित्र मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है?

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष-

मद संख्या-13 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-14

[04:56] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री उपाध्यक्ष-

नियम-51 के तहत आज दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। यह सभी सूचनायें स्वीकृत की जाती हैं।

पहली सूचना श्री राजीव तरारा की बछरायूँ (अमरोहा) के संयुक्त चिकित्सालय में आवश्यक उपकरण एवं स्टाफ की तैनाती कराने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री वीर विक्रम सिंह "प्रिंस" की जनपद शाहजहाँपुर में कतिपय अवैध कब्जा हटवाएं जाने के सम्बन्ध में है तीसरी सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की सरकार के अति महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान भारत का लाभ प्राइवेट अस्पतालों मे न मिल पाने तथा वंचित पात्र परिवारों को योजना में सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री नफीस अहमद की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में विद्युत समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री मानवेन्द्र सिंह की जनपद-हरदोई के श्रीमऊ और माननगला में दो नये विघुत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री बम्बालाल की छतिग्रस्त/ध्वस्त सम्पर्क मार्गों के विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में हैं, सातवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा "मोना" की जनपद- प्रतापगढ़ के मॉडल स्कूल सराय निर्भय के निर्माण कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद-फिरोजाबाद के नगर निगम फिरोजाबाद में नगर विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 20-1-2021 का अनुपालन न कराये

जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद-अम्बेडकरनगर की तहसील जलालपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अजय कुमार "लल्लू" की जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की जनपद-लखनऊ के दुबग्गा में कतिपय सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री योगेश वर्मा की जनपद-सीतापुर के विधानसभा क्षेत्र सिधौली में अटरिया से ग्राम हमीरपुर तक महादेवा बाबा होते हुए सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में टोंस नदी एवं तमसा नदी में आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में धान का क्रय एम0एस0पी0 मूल्य पर शुरू किये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री अगयश राम शरण वर्मा की जनपद-पीलीभात के विधान सभा क्षेत्र 130 बीसलपुर के अन्तर्गत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के प्रस्तावों पर धनराशि विनियोजन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद-सहारनपुर अन्तर्गत ग्राम सलेमपुरगदा से ग्राम ननौली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की जनपद-महाराजगंज में बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी में पात्र व्यक्तियों को पट्टा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड कोतवाली में नगीना से कोतवाली मार्ग पर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना डा0 डी0सी0 वर्मा की जनपद-बरेली में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, इक्कीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद-मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा धनराशि वापस कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद-मेरठ में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री पवन कुमार की जपनद-कुशीनगर सरकारी धान क्रय केन्द्र में धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद-लखनऊ में लोक निर्माण विभाग की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की एरच बांध परियोजना का अपूर्ण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद-वाराणसी के गोपापुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना मो0 फहीम इरफान की मण्डी समिति की स्थापना के सम्बन्ध में हैं, उन्तीसवीं सूचना श्री ओम कुमार की बिजनौर के विधान सभा नहटौर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद-सहारनपुर में कतिपय सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकत्तीसवीं सूचना श्री हरगोविन्द भार्गव की जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-खैराबाद के ग्रामपंचायत मनुआपुर के वर्तमान प्रधान का बस्ता वापस कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना मो0

असलम राईनी की देवीपाटन मण्डल सहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में खाद बीज दुकानदारों के शोषण के सम्बन्ध में है, तथा तैंतीसवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूं में कतिपय अवैध कब्जा हटाये जाने के संबंध में है।

[04:57] सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्रगान

श्री उपाध्यक्ष-

अब हम राष्ट्रगान के लिए उठते हैं।

जन-गण-मन अधिनायक जय हे।

भारत भाग्य विधाता।।

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना- गंगा,

उच्छल जलधि-तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।

श्री उपाध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 58 मिनिट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 18 अक्टूबर, 2021

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 57 विधान सभा (76)-18-05-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।